आनन्दमार्ग चर्याचर्य

(प्रथम खण्ड)

प्रवक्ता और प्रवर्त्तक

श्रीश्रीआनन्दमूर्त्ति

आनन्दमार्ग चर्याचर्य

(प्रथम खण्ड)

प्रथम बंगला संस्करण: अप्रैल,१९५६

एकादश मुद्राङ्कन : मे २०२३

प्रकाशक : आचार्य सर्वात्मानन्द अवधूत

(केन्द्रीय प्रकाशन सचिव) आनन्दमार्ग

प्रचारक संघ भि.आई.पि. नगर ५२७,

कलिकाता- ७०० १००

मुद्राकर : आचार्य अभिव्रतानन्द अवधूत आनन्द प्रिन्टर्स

३/१सि, मोहनवागान लेन कलिकाता-७००००४

ISBN : 978-81-7252-254-4

Price: Rs. 40.00

चरम निर्देश

"जो दोनों समय नियमित रूप से साधना करते हैं , मृत्युकाल में परमपुरुष की भावना उनके मन में अवश्य ही जगेगी और निश्चित रूप से उनकी मुक्ति होगी ही । अतः प्रतयेक आनन्दमार्गी को दोनों समय साधना करनी ही होगी - यही है परमपुरुष का निर्देश । यम - नियम के बिना साधना नहीं हो सकती । अतः यम - नियम का पालन करना भी परमपुरुष का ही निर्देश है । इस निर्देश की अवहेलना करने का अर्थ है कोटि - कोटि वर्षों तक पशुजीवन के क्लेश में दग्ध होना । किसी भी मनुष्य को उस क्लेश में दग्ध होना नहीं पड़े तथा परमपुरुष की स्नेहच्छाया में सभी आकार शाश्वती शान्ति लाभ करें , इसलिए सभी मनुष्यों को आनन्दमार्ग के कल्याण - पथ पर लाने की चेष्टा करना भी प्रत्येक आनन्दमार्गी का कर्त्तव्य है । दूसरों को सत्पथ का निर्देशन करना साधना का ही अंग "

श्री श्री आनन्दमूर्ति

रोमन संस्कृत वर्णमाला

विभिन्न भाषाओं का ठीक - ठीक उच्चारण करने के लिए तथा द्रुतलेखन के प्रयोजन को समझकर निम्नलिखित पद्धति से रोमन संस्कृत वर्णमाला का प्रवर्त्तन किया गया है

अ	आ	इ	ई	उ	ऊ	ऋ	ॠ	ऌ	ॡ	ए	ऐ	ओ	औ	अं	अः
অ	আ	ই	ঈ	উ	ঊ	ঋ	ৠ	ঌ	ৡ	এ	ঐ	ও	ঔ	অং	অঃ
a	á	i	ii	u	ú	r	rr	lr	lrr	e	ae	o	ao	am	ah

क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	ज	झ	ञ
ক	খ	গ	ঘ	ঙ	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
ka	kha	ga	gha	uṋa	ca	cha	ja	jha	iṋa

ट	ठ	ड	ढ	ण	त	थ	द	ध	न
ট	ঠ	ড	ঢ	ণ	ত	থ	দ	ধ	ন
t́a	t́ha	d́a	d́ha	ńa	ta	tha	da	dha	na

प फ ब भ म

প ফ ব ভ ম

Pa pha ba bha ma

य र ल व

য র ল ব

ya ra la va

श ष स ह क्ष

শ ষ স হ ক্ষ

sha śa sa ha kśa

अँ ञ ऋषि छाया ज्ञान संस्कृत ततोऽहं

অঁ জ্ঞ ঋষি ছায়া জ্ঞান সংস্কৃত ততোऽহং

aṋ jiṋa rśi cháya jiṋána saḿskrta tato’haḿ

a á b c d ḋ e g h i j k l m ḿ n

ń ṋ o p r s ś t ť u ú v y

समग्र विश्व में बहुत प्रचारित रोमन लिपि के २९ अक्षर

मात्र से संस्कृत भाषा का ठीक - ठीक उच्चारण किया जाना

सम्भव है । इसमें युक्ताक्षर का भी झमेला नहीं है । अरबी , फारसी और अन्यान्य f, q , gh , z , प्रभुति अक्षरों का प्रयोजन रहता है , संस्कृत में नहीं । शब्द के मध्य या शेष में ' ड ' , ' ढ ' यथाक्रम ' ड़ ' और ' ढ़ ' ' रूप में उच्चारित होते हैं । ' य ' (जहाँ ' य ' का उच्चारण ' इ ' , ' अ ' होता है) के समान वे भी कोई स्वतंत्र वर्ण नहीं हैं । प्रयोजन के अनुसार और असंस्कृत शब्द लिखने के समय ŕa और ŕha व्यवहार किया जा सकता है ।

गैर- संस्कृत शब्द लिखने के लिए दिए गए दश अतिरिक्त अक्षर

क़	ख़	ज़	ड़	ढ़	फ़	य़	ल़	त्	अँ
ক়	খ়	জ়	ড়	ঢ়	ফ়	য়	ল়	ৎ	অঁ
qua	qhua	za	ŕa	ŕha	fa	ya	lra	t	aṋ

प्रकाशक का निवेदन

"आनन्द मार्ग चर्याचर्य," प्रथम खण्ड का संशोधित तथा परिवर्द्धित संस्करण प्रकाशित हुआ । यह संशोधन तथा परिवर्द्धन क्यों, इस सम्बन्ध में दो-चार शब्द बोलना चाहता हूँ ।

आनन्द मार्ग के प्रवक्ता तथा प्रवर्त्तक श्रीश्रीआनन्दमूर्त्तिजी ने मार्ग के अद्‌वैतवादी दर्‌शन की पृष्ठभूमि में अपनी शैली में अनुगामियों के लिये रचना किये त्रिशास्त्र- दर्शनशास्त्र, धर्मशास्त्र तथा समाजशास्त्र “आनन्द मार्ग चर्याचर्य" खण्डसमूह मार्ग के समाजशास्त्र हैं । संघ के सामाजिक विधि-विधान कैसे होंगे; विभिन्न पारिवारिक अनुष्ठान जैसे शिशु का जातकर्म, जन्मतिथि कृत्य, शिलान्यास, गृहप्रवेश, यात्रा

प्रकरण, प्रणामविधि, विवाह, श्राद्ध, वृक्षरोपण तथा धार्मिक पर्व उत्सव इत्यादि सामाजिक अनुष्ठान किस पद्धति से पालित होंगे-इस सम्बन्ध में सुस्पष्ट निर्देश प्रथम खण्ड में है ।

मार्गगुरु ने संघ प्रतिष्ठा के प्रारम्भ में ही सन् १९५६ ई० में इस पुस्तक की रचना की । परवर्त्तीकाल में साठ, सत्तर तथा अस्सी के दशकों में आवश्यकता समझ कर और भी कुछ निर्देश संयोजित किये । बंगला, हिन्दी तथा अंग्रेजी भाषाओं में विभिन्न समयों पर उनको लेकर भिन्न-भिन्न संस्करण प्रकाशित हुए । स्वभावतः आलोच्य विषय सूची के संम्पर्क में विभिन्न संस्करणों में कुछ भिन्नता आ गई। कुछ मुद्राङ्कन त्रुटियाँ भी हुयीं । इधर भारत तथा भारत के बाहर प्रधान भाषाओं में इस पुस्तक के अनुवाद की आवश्यकता प्रतीत हुई । इसलिये सब पहलुओं पर

विचार कर संघ की केन्द्रीय समिति ने सर्व सम्मति से एक प्रस्ताव ग्रहण किया कि यथाशीघ्र अंग्रेजी, बंगला तथा हिन्दी भाषाओं में अबतक प्रकाशित सभी संस्करणों को मिलाकर एक त्रुटिमुक्त, प्रामाणिक और अभिन्न संस्करण प्रकाशित हो, जिसको आधार मानकर पुस्तक अन्य भाषाओं में अनूदित हो ।

तदनुयायी इस वर्ष गत् ३ तथा ४ जून कलकत्ता में केन्द्रीय समिति के सदस्यों ने मिलित रूप से विभिन्न भाषाओं में संस्करणों के प्रति अध्याय तथा अनुच्छेद पर विस्तार से पर्यालोचना की तथा सर्वसम्मति से एक पाण्डुलिपि तैयार करने के लिए आचार्य शम्भुशिवानन्द अवधूत, आचार्य प्रणवानन्द अवधूत तथा आचार्य विजयानन्द अवधूत को यथाक्रम में अंग्रेजी, हिन्दी, तथा बंगला संस्करणों का दायित्व दिया गया । वर्त्तमान हिन्दी संस्करण इसी प्रयास की फलश्रुति है ।

आशा करता हूँ यह ग्रन्थ आग्रही मनुष्यों के आध्यात्मिक, सामाजिक तथा पारिवारिक अनुष्ठानों की परिचालना में अच्छी तरह से उपयोगी होगा

प्रकाशक

आनन्द मार्ग आश्रम

तिलजला, कलकत्ता- ३९ २१ अक्टूबर, १९९५

---

* "Bengali edition of Caryácarya I, II and III should be updated reconciling them with the latest English edition. Thereafter these should be translated into En- glish, Hindi and other languages from the original Bengali in order to avoid any mistake in earlier translations." (C.C. Resolution, 3/1/91, Calcutta)

⁎ "A new edition of Caryacarya, Part I shall be published at the earliest. A thorough review of Hindi/ Bengali/English versions of the book shall be completed to assure that they [the books] are consistent and proper, (C. C. Resolution, 31/5/95 Anandanagar).

सूचीपत्र

अध्याय	विषय
१)	शिशु का जातकर्म
२)	दीक्षाप्रणाली
३)	साधना
४)	तात्त्विक, आचार्य और पुरोधा
५)	आत्मविश्लेषण
६)	आचार्य के साथ सम्पर्क
७)	प्रणामविधि
८)	पाञ्चजन्य
९)	धर्मचक्र

१०) धर्ममहाचक्र

११) स्वाध्याय

१२ तत्त्वसभा

१३) जागृति

१४) शिलान्यास

१५) गृहप्रवेश

१६) वृक्षरोपण

१७) यात्रा प्रकरण

१८) विवाह विधि

१९) आदर्श गृहस्थ

२०) जन्मतिथिकृत्य

२१) सामाजिक उत्सवानुष्ठान

२२) निमन्त्रण विधि

२३) [पोषाक-परिच्छद](#)

२४) नारी-पुरुष का सामाजिक सम्पर्क

२५) जीविका निर्वाह

२६) नारी की जीविका

२७) अर्थनीति

२८) आदर्श दायाधिकार व्यवस्था

२९) विज्ञान तथा समाज

३०) सामाजिक दण्ड

३१) शव सत्कार

३२) श्राद्धानुष्ठान

३३) विधवा

३४) भुक्तिप्रधान

३५) समाजमित्रम्, स्मार्त्त, जीवमित्रम् और

धर्ममित्रम्

३६) पर्षदों का गठन

३७) उपभुक्तिप्रमुख

३८) सान्धिविग्राहिक, जनमित्रम् और लोकमित्रम्

३९) तुमलोगों की विभिन्न संस्थायें

४०) तात्त्विक, आचार्य, पुरोधा और तत्संश्लिष्ट पर्षद

४१) अवधूत और अवधूत पर्षद्

४२) मार्गीय सम्पद

४३) गुरुवन्दना

४४) शेष कथा

४५) महाप्रयाण दिवस

विश्वजनीन मानव समाज का निर्माण

अध्याय- १

शिशु का जातकर्म

(अन्नप्राशन तथा नामकरण)

जातकर्म : शिशु की आयु छः मास (छः मास से एक वर्ष के भीतर) की होने पर कम से कम पाँच गुरुभाई किसी दिन एक साथ बैठोगे और शिशु को उनलोगों के सामने लेटाओगे । तत्पश्चात् सर्वप्रथम आचार्य (आचार्य के उपस्थित नहीं रहने पर उपस्थित वयोवृद्ध) और बाद में उपस्थित सभी व्यष्टि कहेंगे-

"ॐ मधु वाता ऋतायते मधु क्षरन्तु सिन्धवः ।

माध्वीर्नः सन्त्वोषधीः ॥

मधु नक्तमुतषसो मधुमत् पार्थिवं रजः ।

मधु द्यौरस्तु नः पिता ॥

मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमाँ अस्तु सूर्यः ।

माध्वीर्गावो भवन्तु नः ॥

ॐ मधु, ॐ मधु, ॐ मधु ॥"

---

*मन्त्रार्थ :- "वायु मधु बहाकर लाए. समुद्र मधु क्षरण करें, हमलोगों की औषधियाँ मधुमय हो। दिवारात्रि मधुपूर्ण हों, पृथ्वी की धूलि मधुमय हो, देवलोक-पितृलोक मधु रूप से प्रतिभात हो। हमलोगो का पशुसमूह (गृहपालित पशु) मधु देनेवाला हो ।

ब्रह्म मधु, ब्रह्म मधु, ब्रह्म मधु।"

वि० द्र० :- सब भाषाभाषियों की सुविधा के लिए यह मन्त्र केवल संस्कृत भाषा में पढ़ा जायेगा ।

Onm' madhu va'ta' rta'yate madhu ks'arantu sindhavah;

ma'dhviirnah santvos'adhiih.

Madhu naktamutas'aso madhumat pa'rthivam' rajah;

madhu dyaorastu nah pita'.

Madhuma'nno vanaspatirmadhuma'n astu su'ryah;

ma'dhviirga'vo bhavantu nah.

Onm' madhu onm' madhu onm' madhu.

इसके बाद मातृभाषा या सभी व्यष्टियों की समझने योग्य भाषा में कहेंगे- "हे करुणामय ब्रह्म ! आज यह शिशु जो हमलोगों के बीच हमलोगों के समाज में आया है, हमलोग सभी मिलकर उसके भरण-पोषण, चिकित्सा तथा शारीरिक उन्नति की व्यवस्था करने में सक्षम हो।"

इसके बाद प्रत्येक उपस्थित व्यष्टि एक-एक लोटा समयानुसार शीतल या अर्द्ध-उष्ण जल लेकर एक दूसरे बड़े वर्त्तन में ढालेंगे तथा फिर कहेंगे-

“ॐ मधु वाता ऋतायते मधु क्षरन्तु सिन्धवः ।

माध्वीर्नः सन्त्वोषधीः ॥

मधु नक्तमुतषसो मधुमत् पार्थिवं रजः ।

मधु द्यौरस्तु नः पिता ॥

मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमाँ अस्तु सूर्यः ।

माध्वीर्गावो भवन्तु नः ॥

ॐ मधु, ॐ मधु, ॐ मधु ॥”

- "हे करुणामय ब्रह्म ! आज यह शिशु जो हमलोगों के बीच हमलोगों के समाज में आया है, हमलोग उपयुक्त

शिक्षा द्‌वारा उसकी मानसिक उन्नति की व्यवस्था करने में सक्षम हो ।"

इसके बाद उपर्युक्त विधि के अनुसार फिर एक-एक लोटा जल उसी बड़े बर्त्तन में ढालेंगे और कहेंगे-

"ॐ मधु वाता ऋतायते मधु क्षरन्तु सिन्धवः ।

माध्वीर्नः सन्त्वोषधीः ॥

मधु नक्तमुतषसो मधुमत् पार्थिवं रजः ।

मधु द्‌यौरस्तु नः पिता ॥

मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमाँ अस्तु सूर्यः ।

माध्वीर्गावो भवन्तु नः ॥

ॐ मधु, ॐ मधु, ॐ मधु ॥"

- "हे करुणामय ब्रह्म ! आज यह शिशु जो हमलोगों के बीच हमारे समाज में आया है, हमलोग उपयुक्त शिक्षा

द्‌वारा उसकी आध्यात्मिक उन्नति की व्यवस्था कर सकें ।"

इसके बाद फिर उसी प्रकार सभी लोग जल ढालेंगे और कहेंगे-

“ॐ मधु वाता ऋतायते मधु क्षरन्तु सिन्धवः ।

माध्वीर्नः सन्त्वोषधीः ॥

मधु नक्तमुतषसो मधुमत् पार्थिवं रजः ।

मधु द्‌यौरस्तु नः पिता ॥

मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमाँ अस्तु सूर्यः ।

माध्वीर्गावो भवन्तु नः ॥

ॐ मधु, ॐ मधु, ॐ मधु ॥”

- "हे करुणामय ब्रह्म ! आज इस शिशु के रूप में तुम हमलोगों के बीच आविर्भूत हुए हो, इसके भीतर हमलोग तुम्हारा व्यापक विकास देख सकें ।"

- "हमलोगों ने मिलित रूप से इस शिशु का नाम रखा... "

इसके बाद शिशु का अभिभावक शिशु को उसी पवित्र जल से स्नान कराएगा । तत्पश्चात् शिशु सर्वप्रथम अन्न (Solid food) ग्रहण करेगा। इस कर्म में प्रीतिभोज की व्यवस्था पूर्ण रूप से स्वेच्छा पर निर्भर करती है। यह व्यष्टिविशेष की आर्थिक अवस्था पर निर्भर करती है। उधार अथवा ऋण लेकर प्रीतिभोज की व्यवस्था करना निषेध है ।

सन्तान प्रसव के इक्कीस दिन बाद शिशु तथा प्रसूति स्नान के पश्चात् लौकिक विचार से शुद्ध समझे जाएंगे ।

सूचीपत्र

अध्याय- २

दीक्षाप्रणाली

शिशु की आयु पाँच वर्ष होने पर पिता, माता, भ्राता, भगिनी या कोई भी अभिभावक उसे 'नाम-मन्त्र' की दीक्षा देंगे । अर्थात् पाँच वर्ष की आयु में शिशु को जब कुछ ज्ञान होगा उस समय उसे पद्मासन में बैठना सिखाकर दोनों हाथों की अँगुलियाँ एक दूसरे में नहीं घुसाकर, दोनों हाथ ऊपर नीचे रखकर मेरुदण्ड सीधा करके बैठाकर, शिशु को सोचना सिखाएंगे कि उसके

चतुर्दिक जो कुछ भी है या जो कुछ भी वह देखता है, सभी 'ब्रह्म' है। इसी तरह से उसे दीक्षा देंगे ।

इसके बाद बारह वर्ष की आयु में आचार्य से 'साधारण योग' में दीक्षा लेगा और सोलह वर्ष अथवा उसके बाद किसी भी आयु में आचार्य से 'सहज योग' की दीक्षा लेगा । अत्यावश्यक होने पर सोलह वर्ष की आयु से पहले भी आसन सिखाया जा सकता है

जो 'सहज योग' में अभ्यस्त हैं, यदि उनकी उत्कट इच्छा हो और प्रतिदिन यथेष्ट समय हो तो पुरोधागण विचार करके उनमें से कुछ लोगों को 'विशेष योग' की दीक्षा देंगे। दीक्षादान के लिए आचार्य या पुरोधा अपने दीक्षाभाइयों से किसी प्रकार का पारिश्रमिक नहीं लेंगे, किन्तु आचार्य या पुरोधा की आर्थिक स्थिति की रक्षा जिससे हो सके, उस पर दृष्टि रखना मार्ग के प्रत्येक व्यष्टि का कर्तव्य है ।

जिनकी आयु बारह से अधिक है उन्हें 'नाम-मन्त्र' की दीक्षा देने का अधिकार आचार्य, तात्त्विक और धर्ममित्रम् को ही होगा। इसके लिए वे किसी प्रकार का पारिश्रमिक नहीं लेंगे । इसमें दक्षिणाविधि प्रारम्भिक, साधारण और सहज योग की तरह है । 'नाम- मन्त्र' में किसी शुद्धि या मन्त्रोच्चारण की मात्रागत विधि नहीं है।

'नाम- मन्त्र' प्राप्त व्यष्टि धीरे-धीरे यम-नियम विधि भी सीख सके इसकी व्यवस्था भी कर देनी होगी । जहाँ तक सम्भव हो, एक साथ एक से अधिक व्यष्टि को 'नाम मन्त्र' की दीक्षा नहीं देना ही अच्छा है। एक साथ चार से अधिक व्यष्टियों को 'नाम-मन्त्र' देना वांछनीय नहीं है ।

दीक्षार्थी का नामकरण :

जिनका नाम संस्कृत भाषा में नहीं है, दीक्षा देने के समय अथवा दीक्षा देने के कुछ ही दिनों के भीतर उनका नामकरण संस्कृत भाषा में करोगे । नाम के अन्त में 'देव' शब्द रहेगा। पदवी के सम्बन्ध में व्यष्टि विशेष को स्वतन्त्रता रहेगी कि वह अपनी इच्छानुसार रखे किन्तु 'देव' पदवी का व्यवहार जितना अधिक हो उतना अच्छा है व्यष्टि के संस्कृत नाम ही उसके वैवहारिक काम में चलेगा नामकरण जहाँ तक सम्भव हो, संस्कृत भाषा में होने पर भी तुमलोग सभी भाषाओं का समान रूप से सम्मान करोगे और उन्हें समान सुयोग दोगे ।

दीक्षादान :

(१) केवल कुछ विशेष व्यष्टियों को ही कठिन "विशेष योग सिखाया जाएगा-पुरोधा सिखाएंगे

(२) उपयुक्त आग्रहशील व्यष्टियों को "सहज योग" सिखाया जाएगा - आचार्य सिखाएंगे

(३) "सहज योग" का अभ्यास जिसके लिए असुविधा-जनक है या अन्य किसी कारण से जो इसके लिए अनुपयुक्त हैं, उन्हें आचार्य ‘“साधारण योग" सिखाएंगे । “साधारण योग” में खाद्याखाद्य का विचार नहीं है, क्योंकि उसमें आसन करना नहीं है ।

(४) “साधारण योग" जिनके लिए असुविधाजनक है आचार्य उनको “प्रारम्भिक योग" सिखाएंगे। “प्रारम्भिक योग" में भी आसन न होने के कारण खाद्यादि का विचार नहीं है। आसन के अभ्यास की जिनकी उत्कट इच्छा है अथवा शारीरिक या मानसिक कारणवश जिनको आसन की आवश्यकता है, आचार्य अपनी इच्छा से प्रारम्भिक योग में भी उनको आसन सिखा

सकते हैं । समय कम होने पर आचार्य उन्नत संस्कारवाले व्यष्टि को भी पहले "प्रारम्भिक योग" सिखाएंगे। उसके बाद उसकी योग्यता का यथेष्ट प्रमाण पाने पर उसको "साधारण" या "सहज योग” सिखाएंगे ।

आसन के अभ्यासी प्रारम्भिक योगी को भी आसन सम्बन्धित नियमों को मानना पड़ेगा ।

(५) “प्रारम्भिक”, “साधारण" तथा विशेष अवस्था में "सहज योग" की दीक्षा प्रतीक के सामने देनी होगी ।

सूचीपत्र

अध्याय-३

साधना

धर्म साधना का उद्देश्य सर्वात्मक उन्नति है । साधना जगत् का वर्जन नहीं सिखाती है। समस्त स्थूल

तथा सूक्ष्म सम्पत्ति को यथोचित रूप में काम में लगाना ही साधना है । सामाजिक तथा अर्थनैतिक क्षेत्र में जैसे एक सुन्दर रीति से चलने की आवश्यकता है, ठीक उसी तरह शारीरिक तथा मानसिक क्षेत्र में यथोचित नियमों का पालन करते हुए विज्ञानसम्मत रूप से आगे बढ़ना चाहिए।

शरीर और मन को स्वस्थ रखकर आगे बढ़ने के लिए निम्नलिखित कुछ बातों को मानकर चलना चाहिए-

(१) यम साधना

(२) नियम साधना

यम और नियम साधना के विषय में विशेष शिक्षा आचार्य से लेनी चाहिए जगत् के साथ किस प्रकार से

व्यवहार करना चाहिए, वह पूर्ण रूप से इसमें बताया गया है ।

यम-नियम के भीतर आदर्श मानवता का बीज निहित है। जो इसमें सुप्रतिष्ठित हुए हैं, वे अविद्याश्रयी अष्टपाश तथा षट् रिपु के बन्धन से मुक्त हो गए हैं। यहाँ यह बात याद रखना जरूरी है कि रिपु और पाश को जीतना और उनका त्याग करना एक ही बात नहीं है जीवन रक्षा के लिए रिपु और पाश को रखना होगा, किन्तु तुम उनके अधीन नहीं रहोगे, वे ही तुम्हारे अधीन रहेंगे ।

(३) आसन

जिस अवस्था में स्थिरता से सुखी रहा जाए, उसी का नाम 'आसन' है । आसन शरीर के ग्रन्थिसमूह को त्रुटिमुक्त करता है। मन को साधना के उपयुक्त बनाने

में सहायता करता है। आचार्य की अनुमति लिए बिना आसन करना उचित नहीं है ।

(४) प्राणायाम

प्राणवायु के साथ मन का अविच्छेद्‌य सम्पर्क है। वायु की चंचलता से मन चंचल और मन के चंचल होने से वायु चंचल होता है प्राणायाम में वैज्ञानिक पद्धति द्‌वारा वायु नियंत्रित होने से मन नियन्त्रित होता है। इसके फलस्वरूप साधना में विशेष सुविधा होती है ।

प्राणायाम नहीं सीखने पर ध्यानाभ्यास में कुछ समय देर लग जाती है। प्राणायाम आचार्य से सीखोगे, अन्यथा विपत्ति में पड़ जाने की सम्भावना है ।

(५) प्रत्याहार

'प्रत्याहार' शब्द का अर्थ है 'वापस ले लेना' (with-drawal) । चंचल मन जब उच्छृङ्खल हो किसी विशेष विषय की ओर जाता हो तो उसको वापस ले आना। मार्गगुरु को वर्णार्घ्यदान प्रत्याहार का सबसे सहज रास्ता है। मार्गगुरु को स्थूल रूप से समीप न पाकर भी प्रत्याहार का अभ्यास किया जा सकता है । प्रत्याहार आचार्य सिखाएंगे ।

(६) धारणा

चित्त को किसी विशेष देश में बाँधकर रखना धारणा (Conception) कहलाता है । उपयुक्त व्यष्टि को आचार्य यह पद्धति सिखा देंगे ।

(७) ध्यान

तैलधारावत् चित्त की एकाग्रता का नाम है ध्यान । मन की सभी वृत्तियों को ध्येय में निबद्ध रखना पड़ता है ।

(८) समाधि

आचार्य द्वारा बताई गई ध्यान पद्धति का अनुसरण करने से जब चित्त वृत्ति का निरोध होता है, उसी अवस्था का नाम 'समाधि' (निर्विकल्प) है

ईश्वर-प्रणिधान द्वारा जो समाधि होती है उससे मैंपन तथा चित्तवृत्ति का निरोध तो नहीं होता है, किन्तु उससे भूमातत्व में स्थिति लाभ होती है– जीव अनन्तत्त्व में प्रतिष्ठित होता है। इस अवस्था को भी 'समाधि' (सविकल्प) कहते हैं ।

सूचीपत्र

अध्याय- ४

तात्त्विक, आचार्य और पुरोधा

(क) जो व्यष्टि निष्ठावान् हैं, तेजस्वी हैं, दर्शन समझ सकते हैं तथा समझा सकते हैं और तीक्ष्ण बुद्धिवाले हैं, केवल वे ही आचार्य होने के योग्य समझे जाएंगे ।

(ख) जिन सभी आचार्यों के कम-से-कम ५०० दीक्षाभाई हैं और उन आचार्यों में से जो दुरूह "विशेष योग' में अभिज्ञ है, केवल वे ही पुरोधा की शिक्षा पाएंगे।

(ग) जो कम-से-कम २० व्यष्टियों (विशेष क्षेत्र में पाँच व्यष्टियों) को आध्यात्मिक भावधारा में उबुद्ध कर सकेंगे, वे तात्त्विक की शिक्षा पाएंगे ।

(घ) मार्ग के दायित्वपूर्ण पदों के लिए जहाँ तक सम्भव हो पुरोधाओं को ही निर्वाचित या मनोनीत करना होगा ।

(ङ) मार्गीय आदर्श के सार्वभौम प्रचार को लक्ष्य रखते हुए, केन्द्रीय समिति (केन्द्रीय संस्था) की सम्मति और पुरोधाप्रमुख की से इस नियम में सामयिक शिथिलता हो सकती है।

सूचीपत्र

अध्याय- ५

आत्मविश्लेषण

यदि कोई व्यष्टि यम-नियम के प्रतिकूल कोई आचरण करे तो उसी दिन या आगामी धर्मचक्र के दिन

किसी आचार्य के समक्ष अपने दोष को स्वीकार करेगा और दण्ड माँग लेगा ।

आचार्य दोषी व्यष्टि को शारीरिक अथवा मानसिक दण्ड देंगे, आर्थिक अथवा किसी अन्य प्रकार का दण्ड नहीं दिया जाएगा, आचार्य समाज-सेवा हेतु दण्ड देने की चेष्टा करेंगे, किन्तु किसी भी दशा में दोषी व्यष्टियों से अपने लिए सेवा नहीं लेंगे।

यदि दोष निवारण की सम्भावना हो तो दण्ड प्रदान करने के स्थान पर दोषी व्यष्टि से दोष का निवारण कराएंगे और भविष्य में सावधान रहने का आदेश देंगे ।

गुरुतर अपराध होने से आचार्य सबों के सामने दण्ड दे सकते हैं, किन्तु अपराध की विषयवस्तु का अभिप्रकाश नहीं करेंगे ।

दोषयुक्त आचरण हो या न हो, आचार्य (यहाँ आचार्य का अर्थ कोई भी आचार्य) के समक्ष इस आशय का विवरण प्रस्तुत करोगे कि तुमने यम-नियम के सिद्धान्त का कहाँ तक पालन किया है इस सम्बन्ध में पिछले विवरण की तिथि को ध्यान में रखना होगा ।

अध्याय-६

आचार्य के साथ सम्पर्क

पूर्व का कोई सम्पर्क नहीं रहने पर आचार्य के साथ उम्र के अनुसार अग्रज या अनुज का सम्पर्क होगा।

शिक्षाभाई उम्र में छोटा होने पर आचार्य की चरणधूलि ग्रहण करेगा और आचार्य के उम्र में छोटा होने पर भी शिक्षाभाई इच्छा होने से उनकी चरणधूलि ले सकता है–साष्टाङ्ग प्रणाम नहीं करेगा । गुरुभाइयों के लिए भी यह नियम प्रयोज्य है। आचार्य को हमेशा मर्यादायुक्त शब्द से सम्बोधित करना होगा ।

सूचीपत्र

अध्याय-७

प्रणाम विधि

प्रणाम तीन प्रकार के हैं- (१) साष्टाङ्ग प्रणाम, (२) चरणस्पर्श प्रणाम, (३) नमस्कार ।

(१) साष्टाङ्ग प्रणाम : यह मुद्रा सरलता का प्रतीक है। एक मात्र मार्गगुरु के समक्ष ही साष्टाङ्ग प्रणाम विधेय हैं। यह मार्ग के प्रति सरलता का परिचय देता है। महिलाएँ साष्टाङ्ग प्रणाम के स्थान पर सिर स्पर्श कर प्रणाम कर सकती हैं ।

(२) चरणस्पर्श प्रणाम : पहले हाथों से प्रणम्य व्यष्टि का चरण स्पर्श करके, फिर उन्हीं हाथों से अपना मस्तक स्पर्श करना ही चरणस्पर्श प्रणाम है। यह प्रणाम केवल उन्हीं व्यष्टियों को किया जा सकता है जो लौकिक अथवा आध्यात्मिक दृष्टि से तुम्हारे पूजनीय हैं। उक्त प्रकार के व्यष्टियों को छोड़कर चरणस्पर्श प्रणाम और किसीको नहीं करोगे । जिसको तुम श्रद्धा नहीं करते हो, वह कोई भी क्यों न हो, उसको चरण स्पर्श करके प्रणाम मत करो ।

(३) नमस्कार : पहले दोनों हाथों को जोड़कर दोनों हाथों के अंगुष्ठों से त्रिकुटि (आज्ञा चक्र) स्पर्श कर, मस्तक बिना झुकाए एक परमात्म ज्ञान से अभिवादन करने का नाम नमस्कार है । यह सबको (एक उम्र वालों या अधिक उम्र वालों को) किया जाएगा।

किसीसे भी तुम हाथ मत मिलाओ, क्योंकि वह स्वास्थ्य तत्त्व के विरुद्ध है । किसी को भी तुम कुर्निश मत करो, क्योंकि तुम किसी के गुलाम नहीं हो इसलिए गुलामी (दास्य वृत्ति) का प्रतीक कुर्निश करना पूर्ण रूप से निषिद्ध है ।

अध्याय-८

पाञ्चजन्य

प्रतिदिन प्रातः पाँच बजे साधकगण स्थानीय जागृति में मिलित होंगे । जहाँ जागृति नहीं है, वहाँ सुविधाजनक स्थान पर एकत्रित होंगे तथा मिलित रूप से ५ मिनट प्रभात-संगीत, १५ मिनट कीर्त्तन तथा अन्ततः १० मिनट ईश्वर-प्रणिधान करेंगे। रविवार को छोड़कर सप्ताह के अन्य दिन इसी नियम का पालन करेंगे । रविवार के दिन १० मिनट प्रभात-संगीत, १५ मिनट कीर्त्तन तथा न्यूनतम १० मिनट ईश्वर-प्रणिधान करेंगे । प्रातः कालीन इस अनुष्ठान का नाम पाञ्चजन्य हैं।

सूचीपत्र

अध्याय-९

धर्मचक्र

एकत्रित होकर ईश्वर-प्रणिधान और धर्मीय आलोचना करने का नाम धर्मचक्र है । सब कोई पंक्तिबद्ध होकर पास-पास बैठोगे । महिलायें अलग पँक्ति में बैठेंगी। जो जब आएंगे किसीसे बिना कोई बात किए उपयुक्त स्थान पर बैठ जाएंगे। निर्दिष्ट समय पर ईश्वर-प्रणिधान करोगे। काम समाप्त होने पर निःशब्द उठोगे और मिलित सभा के लिए अपेक्षा करोगे । ईश्वर-प्रणिधान के लिए आचार्य द्वारा निर्दिष्ट समय समाप्त हो जाने पर संकेत पाते ही बाकी लोग भी (जो अभी तक ईश्वर-प्रणिधान में रत थे) उठ जाएंगे और एक साथ सभा में शामिल होंगे । ईश्वर-प्रणिधान में निम्नलिखित मन्त्र की आवृत्ति करोगे-

"संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम् ।

देवा भागं यथा पूर्वे सञ्जानाना उपासते ॥

समानी व आकूतिः समाना हृदयानि वः ।

समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति ॥"

Sam gacchadhvam` sam`vadadhva`m

sam vo maná m`si jánatám.

Devábhágam' yatha pu`rve

sainjána ná upá sate.

Sama'nii vaakutih samana' hrdayani vah

Samánamastu vo mano yatha vah

susahásati.*

निर्देश :

(१) प्रति रविवार को स्थानीय आचार्य द्‌वारा निर्दिष्ट समय पर धर्मचक्र की व्यवस्था करनी होगी। उत्सव के दिन भी धर्मचक्र की व्यवस्था कर सकते हो ।

(२) स्वस्थ रहने पर धर्मचक्र में योगदान करना ही होगा। राजकार्य अथवा रोगी की सेवा के लिए यदि कोई निर्दिष्ट समय पर धर्मचक्र में योगदान नहीं कर सके, तब उस दिन किसी भी समय जागृति में जाकर ईश्वर-प्रणिधान कर लोगे। यदि यह भी सम्भव न हो, तो सप्ताह के अन्त में एक समय उपवास करोगे ।

(३) धर्मचक्र में सभी अवश्य ही समान आसन पर बैठेंगे तथा समाज सम्मत वस्त्र का व्यवहार करेंगे ।

(४) धर्मपिपासु अमार्गी लोग अपना अपना उद्देश्य बताकर जागृति (आश्रम) के परिचालक की अनुमति

लेकर दर्शक या श्रोता की हैसियत से धर्मचक्र में उपस्थित रह सकते हैं। धर्मचक्र में प्रश्न करने का अधिकार केवल आनन्दमार्गियों को रहेगा, अमार्गियों को नहीं । अमार्गियों को धर्मचक्र में उपस्थित रहने की अनुमति देना अथवा नहीं देना पूर्ण रूप से जागृति के परिचालक की इच्छा पर निर्भर करेगा । जिज्ञासु अमार्गियों की सुविधा के लिए तत्त्वसभा की व्यवस्था करोगे ।

---

* **मन्त्रार्थ :**

(१) सभी एक साथ चलो, सभी एक भावधारा प्रकाश करो, तुमलोग सभी के मन को एक साथ मिलाकर एक विराट मन की सृष्टि करो ।

(२) पूर्वकाल में देवता लोग जिस प्रकार यज्ञ की हविः को ग्रहण करते थे, तुम सब भी उसी तरह मिलित भाव से जगत् की सभी सम्पति का व्यवहार करो।

(३) तुम सब का आदर्श एक हो, तुम सभी सबके साथ अभिन्नहृदय हो ।

(४) तुम सभी लोग अपने-अपने मन को एक भाव से बनाओ, जिससे तुम सभी लोग सुन्दर रूप से एक साथ मिल जा सको ।

सूचीपत्र

अध्याय- १०

धर्ममहाचक्र

विशेष अवसरों पर बहुत बड़े रूप से धर्मचक्र के आयोजन को धर्ममहाचक्र कहते हैं और धर्ममहाचक्र अपेक्षाकृत क्षुद्र रूप में अनुष्ठित होने पर उसे धर्म महासम्मेलन कहा जाता है । धर्ममहाचक्र/धर्म महासम्मेलन के आरम्भ में ताण्डव और कौशिकी नृत्य की व्यवस्था अवश्य ही रहेगी।

घर्ममहाचक्र/घर्ममहासम्मेलन के उपलक्ष्य में ताण्डव सहित शोभायात्रा वाध्यतामूलक है ।

धर्ममहाचक्र केवल मार्गगुरुदेव की दैहिक उपस्थिति में होता था-प्रकाशक ।

सूचीपत्र

अध्याय- ११

स्वाध्याय

आध्यात्मिक भावसूचक आनन्दमार्ग धर्मशास्त्र साधकों के समक्ष पढ़कर समझा देने को औपाध्यायिक स्वाध्याय कहते हैं। आनन्द मार्ग धर्मशास्त्र का तात्पर्य है “सुभाषित संग्रह " (सभी खण्ड), “आनन्द वचनामृतम्” (सभी खण्ड), 'नमामि कृष्णसुन्दरम्' तथा “नमः शिवाय शान्ताय" ग्रन्थसमूह । आनन्द मार्ग के अन्यान्य ग्रन्थ सहयोगी धर्मशास्त्र के रूप में गण्य होते हैं। 'आनन्द सूत्रम्” ग्रन्थ आनन्द मार्ग का दर्शनशास्त्र है तथा “आनन्द मार्ग चर्याचर्य" (तीनों खण्ड) मार्ग का समाजशास्त्र ।

अध्याय- १२

तत्त्वसभा

केन्द्रीय समिति, भुक्ति समिति या ग्राम समिति अथवा प्रचारक लोग अपनी चेष्टा से कभी-कभी खुले रूप से तत्त्वसभा का आयोजन करेंगे । उसमें बाहर के लोगों को भी भाग लेने की अनुमति दे सकते हो, किन्तु साधना विषयक आलोचना नहीं करोगे ।

सूचीपत्र

अध्याय १३

जागृति

तुमलोग मिलित प्रचेष्टा से जागृति भवन (साधारण पूजा-स्थल) निर्माण करोगे। तुमलोग जागृतियों को तुम्हारे एकत्रित होने तथा मिलित रूप से धर्मानुष्ठान करने के स्थान के रूप में व्यवहार करोगे ।

जागृति आनन्दमार्गियों की साधारण सम्पति है, इसलिए उसकी पवित्रता की रक्षा करोगे ।

अध्याय- १४

शिलान्यास

मिलित ईश्वर-प्रणिधान करोगे और इसके बाद प्रधान व्यष्टि ईंट स्थापना करते हुए बोलेंगे-

"अयमारम्भः शुभाय भवतु।"

“Ayama'rambhah shubha'ya bhavatu.”

- "आज का यह शिलान्यास सब तरह से सार्थक हो । इस शिला के समीप प्रतिवेशी मधुमय हो, प्रतिवेशी के समीप यह शिला मधुमय हो । इस शिला के ऊपर हम यथाशीघ्र कुटीर निर्माण कर सकें ।

-ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः ।"

अध्याय- १५

गृहप्रवेश

गृह को (पत्र, पुष्प, कलस इत्यादि द्‌वारा) सुसज्जित करके ऊषाकाल में सर्वप्रथम गृहिणी, तत्पश्चात् उस परिवार की अन्यान्य नारियाँ उसमें

प्रवेश करेंगी (दीक्षित व्यष्टि गुरूमंत्र का स्मरण करते हुए) इसके बाद शंख ध्वनि करने पर पुरुषगण प्रवेश करेंगे-उनके साथ आमंत्रित पुरुष तथा नारियाँ भी रहेंगी इसके बाद आचार्य (अथवा किसी वयोज्येष्ठ व्यष्टि) का अनुसरण कर सभी एक स्वर से कहेंगे-

"ॐ मधु वाता ऋतायते मधु क्षरन्तु सिन्धवः ।

माध्वीर्नः सन्त्वोषधीः ॥

मधु नक्तमुतषसो मधुमत् पार्थिवं रजः ।

मधु द्यौरस्तु नः पिता ॥

मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमाँ अस्तु सूर्यः ।

माध्वीर्गावो भवन्तु नः ॥

ॐ मधु, ॐ मधु, ॐ मधु ॥"

- "आज का यह गृहप्रवेश हर प्रकार से सार्थक हो । इन गृहवासियों के लिए पड़ोसी मधुमय हो और पड़ोसियों के लिए ये गृहवासी मधुमय हो गृहवासियों के लिए यह गृह मधुमय हो ।

यथायोग्य भाव से हमलोग इस गृह का संरक्षण तथा संवर्धन कर सकें । यह गृह हमलोगों को शान्तिमय आश्रय दे सके ।" "ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॥"

सूचीपत्र

अध्याय- १६

वृक्षरोपण

गुरुमंत्र जप करते-करते प्रथम वृक्षरोपण करोगे । इसके बाद जल सेचन करते करते बोलोगे (मिलित उत्सव करने पर आचार्य -या वयोज्येष्ठ का अनुसरण करोगे) -

"ॐ मधु वाता ऋतायते मधु क्षरन्तु सिन्धवः ।

माध्वीर्नः सन्त्वोषधीः ॥

मधु नक्तमुतषसो मधुमत् पार्थिवं रजः ।

मधु द्यौरस्तु नः पिता ॥

मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमाँ अस्तु सूर्यः ।

माध्वीर्गावो भवन्तु नः ॥

ॐ मधु, ॐ मधु, ॐ मधु ॥"

-"आज का रोपित यह वृक्ष फल, फूल, गन्ध, मधु, पत्र और छाया के द्वारा हमलोगों के समीप मधुमय हो

उठे। हम सभी सेवा, खाद्य, जल, वायु और प्रकाश की व्यवस्था के द्वारा इसके समीप मधुमय हो उठे ।

“ॐ शान्तिः ॐ शान्ति ॐ शान्ति ॥ "

तुलसी, नीम, अशोक, युकेलिप्टस् आदि विशेष उपकारी वृक्षों को, फलतरु और छायातरूगण का यत्नपूर्वक श्रद्धा के साथ पालन करोगे ।

अध्याय- १७

यात्रा-प्रकरण

यात्रादि के समय तुमलोग तिथि-नक्षत्र का विचार नहीं करोगे । गुरुमंत्र के द्वारा यात्रा में ब्रह्मभावना का आरोपण कर गन्तव्य स्थान के लिए प्रस्थान करोगे ।

तिथि-नक्षत्र आदि का विचार कर चलने से सदा साथ में एक पञ्जिका (पत्रा) रखना पड़ता है । यह सम्पूर्ण रूप से वास्तव धर्मविरोधी है

सूचीपत्र

अध्याय- १८

विवाह विधि

आर्थिक अवस्थानुसार विवाह-गृह और विवाह-स्थान रुचि के अनुकूल सजा लोगे और सम्भव हो तो वाद्य और संगीत के द्वारा उत्सव प्रांगण को मुखरित करोगे। विवाह-स्थान में एक ऊँची जगह पर प्रतीक स्थापित करोगे । विवाह के समय सुगन्धित धूप का व्यवहार कर सकते हो। विवाह में कम से कम दस व्यष्टि उपस्थित रहेंगे रूचिपूर्ण वेशभूषा में सज्जित होकर वर-वधू विवाह मण्डप में प्रवेश करेंगे और परस्पर सम्मुखीन होकर आसन ग्रहण करेंगे । शंखध्वनि या अन्य किसी प्रकार की मंगलध्वनि द्वारा उपस्थित व्यष्टिगण उनका स्वागत करेंगे। आचार्य का निर्देश पाने के बाद समवेत ईश्वर-प्रणिधान कर लेंगे ।

दो आचार्य (एक पात्र के पक्ष में और दूसरा पात्री के पक्ष में, अभाव में एक आचार्य, अभाव में एक वयोज्येष्ठ व्यष्टि) विवाह का पौरोहित्य करेंगे ।

विवाह मंत्र :

प्रथम आचार्य कहेंगे-

“ॐ मधु वाता ऋतायते मधु क्षरन्तु सिन्धवः ।

माध्वीर्नः सन्त्वोषधीः ॥

मधु नक्तमुतषसो मधुमत् पार्थिवं रजः ।

मधु द्यौरस्तु नः पिता ॥

मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमाँ अस्तु सूर्यः ।

माध्वीर्गावो भवन्तु नः ॥

ॐ मधु, ॐ मधु, ॐ मधु ॥”

इसके बाद आचार्य का अनुसरण कर विवाहार्थी पुरुष कहेगा- "मैं परम ब्रह्म तथा मार्गगुरुदेव के नाम पर

शपथ ग्रहण करके कहता हूँ कि श्रीमती..........को मैं स्वेच्छा से पत्नी रूप में ग्रहण करता हूँ आज से मैंने इनके भोजन, वस्त्र, शिक्षा, चिकित्सा इत्यादि हर प्रकार का उत्तरदायित्व स्वीकार किया ।"

इसके बाद आचार्य कहेंगे :-

"ॐ मधु वाता ऋतायते मधु क्षरन्तु सिन्धवः ।

माध्वीर्नः सन्त्वोषधीः ॥

मधु नक्तमुतषसो मधुमत् पार्थिवं रजः ।

मधु द्यौरस्तु नः पिता ॥

मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमाँ अस्तु सूर्यः ।

माध्वीर्गावो भवन्तु नः ॥

ॐ मधु, ॐ मधु, ॐ मधु ॥"

इसके बाद विवाहार्थिनी नारी कहेगी : “मैं परम ब्रह्म तथा मार्ग गुरुदेव के नाम पर शपथ ग्रहण कर कहती हूँ कि मैं श्री............को अपनी इच्छा से स्वामी रूप में ग्रहण करती हूँ । आज से इनके सांसारिक जीवन का सभी कार्यभार मैंने ग्रहण किया ।"

इसके बाद आचार्य कहेंगे-

“ॐ मधु वाता ऋतायते मधु क्षरन्तु सिन्धवः ।

माध्वीर्नः सन्त्वोषधीः ॥

मधु नक्तमुतषसो मधुमत् पार्थिवं रजः ।

मधु द्यौरस्तु नः पिता ॥

मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमाँ अस्तु सूर्यः ।

माध्वीर्गावो भवन्तु नः ॥

ॐ मधु, ॐ मधु, ॐ मधु ॥”

“मैं परम ब्रह्म तथा मार्गगुरुदेव के नाम पर शपथ ग्रहण करके कहा हूँ कि मैं अपनी इच्छा से श्रीमती............ को पत्नी के रूप में ग्रहण करता हूँ आज से मैं इनकी मानसिक शान्ति की रक्षा तथा मानसिक उन्नति के लिए हर प्रकार से सचेष्ट रहूँगा ।”

इसके बाद आचार्य कहेंगे :-

“ॐ मधु वाता ऋतायते मधु क्षरन्तु सिन्धवः ।

माध्वीर्नः सन्त्वोषधीः ॥

मधु नक्तमुतषसो मधुमत् पार्थिवं रजः ।

मधु द्यौरस्तु नः पिता ॥

मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमाँ अस्तु सूर्यः ।

माध्वीर्गावो भवन्तु नः ॥

ॐ मधु, ॐ मधु, ॐ मधु ॥”

इसके बाद विवाहार्थिनी नारी कहेगी : "मैं परम ब्रह्म तथा मार्गगुरुदेव के नाम पर शपथ ग्रहण कर कहती हूँ कि मैंने श्री .... को स्वामी रूप मे ग्रहण करती हूँ। आज से इनकी मानसिक शान्ति रक्षा तथा मानसिक उन्नति के कार्य में हर प्रकार से सचेष्ट रहूँगी।"

इसके बाद आचार्य कहेंगे :-

“ॐ मधु वाता ऋतायते मधु क्षरन्तु सिन्धवः ।

माध्वीर्नः सन्त्वोषधीः ॥

मधु नक्तमुतषसो मधुमत् पार्थिवं रजः ।

मधु द्यौरस्तु नः पिता ॥

मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमाँ अस्तु सूर्यः ।

माध्वीर्गावो भवन्तु नः ॥

ॐ मधु, ॐ मधु, ॐ मधु ॥”

इसके बाद विवाहार्थी पुरुष कहेगा : "मैं परम ब्रह्म तथा मार्गगुरुदेव के नाम पर शपथ ग्रहण कर कहता हूँ कि मैंने श्रीमती...... को पत्नी रूप में ग्रहण किया। मैं आज से इनकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए सब तरह से सचेष्ट रहूँगा ।"

इसके बाद आचार्य कहेंगे :-

“ॐ मधु वाता ऋतायते मधु क्षरन्तु सिन्धवः ।

माध्वीर्नः सन्त्वोषधीः ॥

मधु नक्तमुतषसो मधुमत् पार्थिवं रजः ।

मधु द्यौरस्तु नः पिता ॥

मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमाँ अस्तु सूर्यः ।

माध्वीर्गावो भवन्तु नः ॥

ॐ मधु, ॐ मधु, ॐ मधु ॥”

इसके बाद विवाहार्थिनी नारी कहेगी : “मैं परम ब्रह्म तथा मार्गगुरुदेव के नाम पर शपथ ग्रहण कर कहती हूँ कि मैंने श्री......... को स्वामी रूप में ग्रहण किया। मैं आज से इनकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए सब तरह से सचेष्ट रहूँगी ।'

उपस्थित व्यष्टिगण (कम - से - कम दस व्यष्टि) आचार्य का अनुसरण करके कहेंगे- " परम ब्रह्म तथा मार्गगुरुदेव के नाम पर शपथ ग्रहण करके कहते हैं कि हमलोग इस विवाह के साक्षी हुए । करुणामय ब्रह्म की कृपा से हमलोग यथोचित रूप से इस नवदम्पति की सर्वात्मक उन्नति के लिए सहायक हो सकें । "

इसके बाद नव वर - वधू परस्पर माला पहना देंगे और तीन वार माला आदान - प्रदान करेंगे । माला के अभाव में फूल आदान प्रदान करेगें । वर चाहे तो वधू की माँग में तीन वार सिन्दूर देगा । धू भी अगर चाहे तो वर की त्रिकुटि में सिन्दूर का टिका लगा सकती है । नव वर - वधू हाथ से हाथ मिलाएंगे । शंखध्वनि या अन्यान्य मंगलध्वनि भी की जा सकती है । सम्भव होने पर गाने बजाने की भी व्यवस्था हो सकती है ।

नव वर - वधु आचार्य को और अभिभावक को प्रणाम करेंगे ।

विवाह के उपलक्ष्य में प्रीतिभोज का आयोजन करना सम्पूर्णतया इच्छाधीन है । वह व्यष्टिविशेष की आर्थिक सामर्थ्य के ऊपर निर्भर करेगा । उधार या कर्ज लेकर प्रीतिभोज की व्यवस्था करना निषिद्ध

****

* वि ० द्र ० - जिस अञ्चल में माँग में सिन्दूर देने की प्रथा नहीं हो , वहाँ उसका व्यवहार करना या नहीं करना सम्पूर्ण रूप से वर - वधू की इच्छा पर निर्भर करेगा । विवाह के पूर्व या बाद में स्थानीय प्रचलित प्रथानुसार अन्यान्य अनुष्ठान और स्त्री - आचारादि किए जा सकते है , किन्तु वह आवश्यक नहीं हैं ,

ध्यान रखना होगा कि वह आचारादि मार्गीय आदर्श के विरुद्ध न हों ।

****

कतिपय निर्देश : (१) अभिभावकगण पुत्र तथा कन्या के विवाह के लिए देश और जाति का विचार नहीं करेंगे , किन्तु वंश और पात्र -पात्री के गुण - अवगुण का विचार अवश्य करेंगे । विवाह सम्बन्ध की बात पक्की करने के पहले पुत्र और कन्या का विचार जानकर ही करेंगे । जहाँ अभिभावकगण विवाह की बात करेंगे , वहाँ विशेष ध्यान देंगे कि पितृकुल में तीन पीढ़ी ऊपर तथा तीन पीढ़ी नीचे और मातृकुल में भी तीन पीढ़ी ऊपर और तीन पीढ़ी नीचे तक जिनका सम्बन्ध है , उन लोगों से विवाह न हो । (२) (३) आनन्दमार्ग चर्याचर्य (४) विवाह के कम - से - कम एक दिन पहले भी औपचारिक रूप से बात पक्की कर लेंगे और

वर - कन्या दोनों में कोई असहमत तो नही हैं , यह स्पष्ट रूप से जान लेंगे । पुत्र - कन्या यदि स्वयं ही विवाह ठीक करें , तो वहाँ अभिभावक के लिए उचित है कि वे सहमति दें । अभिभावक यदि समझें कि यह विवाह हानिकारक है , तो वे पुत्र कन्या को फिर इस विषय पर पुनर्विचार करने को कहेंगे । इस पर भी यदि वे विचार न बदलें तो वहाँ अभिभावक विवाह की सहमति देंगे , किन्तु उस विवाह का कोई उत्तरदायित्व उन पर न रहेगा । विवाह न करने का उपयुक्त कारण न होने पर , सभी कोई विवाह करेंगे । अपनी शारीरिक , मानसिक , आर्थिक तथा पारिपार्श्विक अवस्था देखकर ही विवाह के सम्बन्ध में निर्णय लेना उचित है । विवाह के सम्बन्ध में किसी पर दबाव देना उचित नहीं है । आनन्दमार्ग के मतानुसार विवाह धर्मसाधना में बाधक नहीं है ; विवाह एक धार्मिक अनुष्ठान (५)

मार्गीय पुरुष मार्ग के बाहर की नारी के साथ विवाह कर सकते हैं , किन्तु मार्गीवा नारी को यथासम्भव मार्गीय पुरुष के साथ विवाह करना उचित है । मार्ग के बाहर से उपयुक्त पात्र मिलने पर उसके साथ विवाह किया जा सकता है , किन्तु उसको शीघ्र ही मार्ग में लाने की चेष्टा करनी होगी । विवाह में कोई भी पक्ष तिलक - दहेज का दावा नहीं कर सकता है । (६) (७) विधवा तथा स्वामी- परित्यक्ता नारी पुनः विवाह कर सकेगी । वैसी नारी को व्याहनेवाला पुरुष समाज में विशेष मर्यादा पाएगा । उस नारी के पूर्वस्वामी से उत्पन्न सन्तान के पालन - पोषण का उत्तरदायित्व उस पुरुष को लेना होगा । (८) समाज - परित्यक्ता नारी यदि सम्मानजनक जीवन यापन करने की इच्छुक हो तो उसे भी पुनः विवाह करने का सुयोग देना होगा । वैसी नारी के साथ मार्गीय प्रथा के अनुसार यदि कोई

पुरुष विवाह करे , तो उस विवाह को यथायथ मर्यादा देनी होगी । (९) निराश्रिता नारी से विवाह कर पौरुष का परिचय दोगे । किसी भी रूप से उसे अवहेलित जीवन यापन करने नहीं दोगे । (१०) एक स्त्री के रहने पर दूसरा विवाह नहीं करना ही उचित है । तब कभी - कभी सामाजिक या पारिवारिक प्रयोजन से एक से अधिक विवाह स्वीकार किया जा सकता है ।

एकाधिक * विवाह का प्रयोजन होने पर पाँच (एक आचार्य होने से अच्छा है) विशिष्ट व्यष्टियों के समक्ष वर्तमान पत्नी की अनुमति लेनी होगी । पत्नी की अनुमति के बिना द्‌वितीय विवाह उचित नहीं है । यही पाँच व्यष्टि विशेष रूप से आवेदनकारी के वक्तव्य की सत्यता पर निर्णय करेंगे । (११) आनन्दमार्ग में अवैध सन्तान मानकर किसी को नींच नहीं समझा

जाएंगा । ऐसी अवस्था में उस सन्तान के पिता माता को विधि पूर्वक विवाह करने के लिए वाध्य करना होगा तथा ऐसी अवस्था में आवश्यकता पड़ने पर एक पुरुष को एक से अधिक विवाह करना पड़ेगा । अवैध सन्तान की मर्यादा रक्षा के लिए पहली पत्नी की अनुमति का प्रयोजन नही होगा । (१२) आनन्दमार्ग का विवाह मंत्रादि जिस प्रकार है , उसमें विवाह विच्छेद का प्रश्न नहीं उठता हैं । किन्तु तब भी अत्यावश्यक क्षेत्र में दुश्चरित्रता , दायित्वहीनता या निष्ठुरता का अभियोग होने से विवाह - विच्छेद स्वीकृत हो सकता है । अभियोगकारी या अभियोगकारिणी अपना आवेदन मार्ग के पाँच विशिष्ट व्यष्टियों के पास करेंगे । उन पाँच व्यष्टियों में एक आचार्य का होना अच्छा है । वे लोग अभियोग की सत्यता के विषय में सन्देह रहित होने पर आवेदनकारी या आवेदनकारिणी को पुनर्विवेचना के

लिए छ : महीना का समय देंगे । यदि फिर भी आवेदन वापस नहीं हो तथा उस समय तक अभियोग का कारण भी अपरिवर्तित रहे तो विवाह - विच्छेद स्वीकार करना होगा । इस विषय में सम्पति के बँटवारे की पद्धति समयानुसार निर्धारित होगी ।

****

* वि ० द्र ० : - सामाजिक प्रयोजन : मानलो , यदि कभी पुरुष की अपेक्षा नारी की संख्या अत्यधिक बढ़ जाए , तब सामाजिक शुचिता की रक्षा के लिए पुरुष को एकाधिक विवाह कर लेना होगा । पारिवारिक प्रयोजन : पत्नी के चिररुग्णा (इस कारण से कर्मशक्तिहीना) और वन्ध्या होने पर और स्वस्थ होने

तथा सन्तान की आशा नहीं रहने पर वंश रक्षा और पारिवारिक कार्य के संचालन के लिए पुरुष का द्‌वितीय विवाह स्वीकार किया जा सकता है ।

****

सूचीपत्र

अध्याय- १९

आदर्श गृहस्थ

आदर्श गृहस्थ को चाहिए कि जितनी अधिक संख्या में सम्भव हो मनुष्य तथा पशु का अन्न द्‌वारा प्रतिपालन करें ।

(१) आर्त्त और अतिथि : -आर्त्त और अतिथि की सेवा के लिए पराङ्‌मुख नहीं होगे । आर्त्त और

अतिथि का कुल , शील , धर्ममत विचार नहीं करोगे ।

(२) पशुसेवा : -दुग्धदात्री पशु को मातृतुल्य देखोगे और उसकी सेवा करोगे । दूध देने की शक्ति नष्ट होने पर भी उसका अनादर नहीं करोगे और न ही उसकी हत्या करोगे ।

(३) भिखारी : -भिखारी सेवा की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है उसको खिलाना । घर में भोजन तैयार नहीं रहने से कोई खाद्‌य (चावल , दाल , आटा या कोई भी कच्ची शाक - सब्जी) दोगे । आवश्यक होने से उसके लिए चिकित्सा , वस्त्र या घर की व्यवस्था भी कर दोगे , क्योंकि जबतक भिखारी समस्या है और राष्ट्र उस समस्या का समाधान करने का दायित्व नहीं लेता है , तबतक वह दायित्व गृहस्थ को लेना ही होगा । भिक्षावृत्ति को प्रोत्साहन देना उचित नहीं है ; परन्तु वास्तव में जो दुःखी हैं , वे आहार बिना न मरें ,

इसके लिए निश्चय ही व्यवस्था करनी होगी । भिखारी को पैसा नहीं दोगे क्योंकि उससे अनेकानेक भिक्षा व्यवसाय में प्रलुब्ध हो सकते हैं ।

(४) सदाव्रत : - प्रत्येक साधक व्यष्टिगत , पारिवारिक या सामाजिक रूप से जो जनसेवा करेंगे उसे सदाव्रत नाम से जाना जाएगा ।

सूचीपत्र

अध्याय- २०

जन्मतिथिकृत्य

मिलित ईश्वर - प्रणिधान के बाद गुरुजनों का आशीर्वाद और मंगल - तिलक , कनिष्टों का प्रणाम

और माल्य - चन्दन ग्रहण करने के उपरान्त उपहार तथा आहार्य ग्रहण करोगे । सभी मांगलिक अनुष्ठानों में धूप - दीप , शखध्वनि इत्यादि अपरिहार्य अङ्ग न होने पर भी व्यवहार किए जा सकते हैं

सूचीपत्र

अध्याय -२१

सामाजिक उत्सवानुष्ठान

मार्ग के उत्सवों में विभिन्न प्रकार के मनोरंजक कार्यक्रमों की व्यवस्था रखोगे , किन्तु नजर रखोगे कि उन कार्यक्रमों के माध्यम से आनन्द भोग करने वाले अपनी शारीरिक , मानसिक तथा आध्यात्मिक उन्नति करने का सुयोग पाएं ।

सामाजिक उत्सवों में निम्नोक्त सम्मिलित है :

१. आनन्द पूर्णिमा - वैशाखी पूर्णिमा

२. श्रावणी पूर्णिमा

३. शारदोत्सव - आश्विनी शुक्ला षष्ठी से लेकर दशमी पर्यन्त ।

४ . दीपावली - कार्त्तिकी अमावस्या

५. भातृ द्‌वितीया - कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्‌वितीया

६. नवान - जिस देश की प्रधान फसल जिस ऋतु में कटती है , उसी ऋतु में किसी पूर्णिमा तिथि को नवान्न उत्सव प्रतिपालित होगा ।

७ . नववर्ष दिवस- अन्तर्राष्ट्रीय पंचाङ्ग का दिन (वर्त्तमान में प्रथम जनवरी) और स्थानीय पंचाङ्ग का प्रथम दिन ।

८ .वसन्तोत्सव - फाल्गुनी पूर्णिमा

अनुष्ठानसूची :

१. आनन्द पूर्णिमा - स्नानमन्त्र के साथ स्नान , दोनों समय मिलित ईश्वर - प्रणिधान और मिलित वर्णार्घ्यदान , दोपहर और रात में मिलित भोज , आनन्दानुष्ठान , तत्त्वसभा , कार्यकर्त्ताओं का वार्षिक सम्मेलन , बच्चों के खेल - कूद और ताण्डव नृत्य सहित शोभायात्रा ।

२. श्रावणी पूर्णिमा- दोनों समय मिलित ईश्वर - प्रणिधान और सम्मिलित वर्णार्घ्यदान , दोपहर और रात में मिलित भोज , आनन्दानुष्ठान , तत्त्वसभा , साहित्य सभा और ताण्डव नृत्य सहित शोभायात्रा ।

३ **शारदोत्सव :**

(क) षष्ठी (शिशु दिवस) - एक समय मिलित ईश्वर - प्रणिधान और वर्णार्घ्यदान , आनन्दानुष्ठान , शिशु प्रदर्शनी , शिशुक्रीड़ा प्रदर्शनी और बच्चों का मिलित भोज । -

(ख) सप्तमी (साधारण दिवस) - शिशुओं को छोड़कर अन्य व्यष्टियों के लिए एक समय मिलित ईश्वर - प्रणिधान और वर्णार्घ्यदान , आनन्दानुष्ठान , युवक- स्वास्थ्य प्रदर्शनी , वयस्कों की क्रीड़ा और शक्ति प्रदर्शनी ।

(ग) अष्टमी (ललित कला दिवस) - एक समय मिलित ईश्वर प्रणिधान और वर्णार्घ्यदान , आनन्दानुष्ठान , साहित्य सभा तथा नाना प्रकार की ललित कला प्रदर्शनी ।

(घ) नवमी (संगीत दिवस) -एक समय मिलित ईश्वरप्रणिधान और वर्णार्घ्यदान , आनन्दानुष्ठान , संगीत , वाद्य संगीत और नृत्य प्रतियोगिता ।

(ङ) दशमी (विजयोत्सव) - रंगीन वस्त्र पहनकर वाद्ययन्त्रों तथा ताण्डव नृत्य सहित शोभायात्रा , मिलित ईश्वर- प्रणिधान और वर्णार्घ्यदान , प्रणाम , आलिंगन इत्यादि तथा अपने अपने निवास स्थान पर अतिथियों तथा अभ्यागतों का सत्कार ।

४. दीपावली (कार्त्तिकी अमावस्या) - एक समय मिलित ईश्वर - प्रणिधान और वर्णार्घ्यदान , आलोक सज्जा , मिलित आनन्दानुष्ठान , निवास स्थान पर अभ्यागतों का सत्कार तथा ताण्डव नृत्य सहित शोभायात्रा ।

५. भ्रातृद्‌वितीया - भ्राता अपनी बड़ी बहिन से आशीर्वाद और माथे पर तिलक एवं छोटी बहिन से प्रणाम , चन्दन और माला ग्रहण करके भोजन करेगा । मन्त्र - " भ्राता मे चिरायुर्भवतु ' (तीन बार) Bhra'ta ' me cira'yurbhavatu .

६. नवान्न - कम - से - कम एक अतिथि को आमन्त्रित कर खिलाओ और उसके साथ ईश्वर - प्रणिधान करो । सम्मिलित आनन्दानुष्ठान ही इसमें प्रधान वैशिष्ट्य होगा ।

७. नववर्ष दिवस- दोनों समय सम्मिलित ईश्वर - प्रणिधान और वर्णार्घ्यदान , मिलित आनन्दानुष्ठान , सभी उम्र के लोगों के खेल - कूद , दोपहर और शाम को मिलित भोज तथा अपराह्न में ताण्डव नृत्य सहित शोभायात्रा । - -

८. **वसन्तोत्सव** (होलिकोत्सव) - फाल्गुनी पूर्णिमा के पूर्वाह्न में रंग और फूल लेकर समवयस्कों के साथ खेलो । अल्पवयस्क वयोज्येष्ठ के चरणों पर तथा शिक्षाभाई अपने आचार्य के चरणों पर रंग या फूल देंगे , लेकिन बड़े छोटों को रंग या फूल नहीं देंगे । अपराह्न में मिलित ईश्वर - प्रणिधान करो और अबीर अथवा मन पसन्द रंग के फूल से मिलित वर्णार्घ्यदान दो । तदुपरान्त इस अबीर या फूल को लेकर आपस में खेलो । इस समय छोटे - बड़े या आचार्य - शिक्षाभाई का विचार नहीं रहेगा । इस अबीर और फूल को किसी के पाँव पर मत दो लेकिन खेलते समय यदि किसी के पाँव में लग जाए तो श्रीश्रीआनन्दमूर्त्तिजी के विचार से इसे जरा भी दोषयुक्त नहीं माना जाएगा । पुरुष नारियों के साथ अथवा नारी पुरुष के साथ अबीर , रंग या फूल का व्यवहार नहीं करेगी । अन्त में मिलित

भोज करोगे । उत्सव के दिन पूर्वाह्न में अपने घर पर आनन्दानुष्ठान , अपराह्न में ताण्डव नृत्य सहित शोभायात्रा और सन्ध्या में सम्मिलित आनन्दानुष्ठान करोगे । हमारे धर्मीय तथा सामाजिक अनुष्ठान धर्मजीवन के ही अङ्ग 1

****

* **विशेष द्रष्टव्य :**

(क) अनुष्ठानसूची सुविधा के अनुसार बना लोगे । आवश्यकतानुसार उसमें परिवर्तन किया जा सकता है।

(ख) वर्णार्घ्यदान के सम्बन्ध में ध्यान रखने की आवश्यकता है कि सूक्ष्म और स्थूल दोनों प्रकार के वर्णार्घ्य का ही मूल्य समान है । अतएव इस विषय में लोगों को केवल दिखाने के लिए कोई कुछ मत करें ।

(ग) सभी पारिवारिक उत्सवों में मिलित ईश्वरप्रणिधान करोगे और सामाजिक उत्सवों में मिलित ईश्वर - प्रणिधान के साथ सुविधानुसार तत्त्वसभा का आयोजन कर सकते हो ।

सूचीपत्र

अध्याय- २२

निमन्त्रण विधि

किसी को निमन्त्रण देते समय गृहकर्त्ता स्वयं वा उनकी पत्नी अथवा उनका (गृहकर्त्ता का) भ्रातृस्थानीय या भगिनी - स्थानीया कोई व्यष्टि , अभाव में पुत्रस्थानीय या कन्यास्थानीया कोई व्यष्टि , घर का उपयुक्त प्रतिनिधि माना जाएगा और वे ही निमन्त्रण करने जाएंगे । जहाँ तक सम्भव हों निमंत्रण

घर में जाकर दोगे । किन्तु जहाँ स्पष्ट रूप से प्रतीत हो कि निमन्त्रणकारी उसीसे मिलने आया है , घर पर जाना प्रयोजनीय नहीं है । निमंत्रण के उपलक्ष्य में उपहार देना हो तो फूल देना ही सबसे अच्छा होगा । हालाँकि , फूल देना भी अति आवश्यक नहीं है । अन्य कोई वस्तु उपहार में देने की तीव्र इच्छा होने पर किसी दिन देना होगा , अन्यथा वह कार्य समाजविरोधी माना जाएगा ।

सूचीपत्र

अध्याय -२३

पोशाक - परिच्छद

अपनी सुविधानुसार अपनी पसन्द् की पोशाक - परिच्छद व्यवहार करोगे । पोशाक - परिच्छद सर्वदा परिष्कृत रखोगे जिससे तुम्हारी पोशाक देखकर लोग

तुम्हारे बारे में अकारण हीन धारणा न कर लें । महिलाएं घर से बाहर निकलते समय खूब साधारण और सादी पोशाक पहनेंगी । शरीर को अच्छी तरह ढँककर बाहर निकलेंगी । उत्सव इत्यादि के समय अथवा साथ में पुरुष अभिभावक के रहने पर या सुरक्षा की अच्छी व्यवस्था रहने पर पोशाक सम्बन्धी कठोरता कुछ शिथिल की जा सकती है । गहनों के सम्बन्ध में भी यही नियम मानकर चलना चाहिए ।

अध्याय- २४

नारी - पुरुष का सामाजिक सम्पर्क

नारी और पुरुष सममर्यादासम्पन्न मनुष्य हैं । नारी की शारीरिक शक्ति पुरूष से कम होने के कारण उसके सम्मान की रक्षा के लिए पुरुषों को सदा सचेष्ट रहना

चाहिए । जन्मदात्री होने के नाते नारी यह दावा कर सकती है । उत्सवों , आध्यात्मिक सभाओं और अन्यान्य स्थानों में महिलाओं की सूख - सुविधाओं की तरफ विशेष ध्यान दोगे ।

नारी और पुरुष आवश्यकता होने पर मिलजुल सकते हैं , सभाओं और समितियों में एक साथ भाग ले सकते हैं और एक दूसरे के निकट बैठ भी सकते हैं । किन्तु वे (नारी - पुरुष) एक साथ निष्प्रयोजन मिलना - जुलना और अनर्गल वार्तालाप नहीं करेंगे क्योंकि इसका परिणाम अच्छा नहीं होता है । याद रखना है कि नारी का मित्र नारी और पुरुष का मित्र पुरुष होंगे । नारी और पुरुष के लौकिक रिश्ते में दूरत्व जितना अधिक हो , बातचीत और में आचरण में शिष्टाचार की मात्रा उतनी ही अधिक होनी चाहिए ।

पर नारी को माँ कहकर सम्बोधित करना अच्छा है । किन्तु जहाँ वैसा सम्बोधन श्रुतिकटु हो , वहाँ माता , भगिनी व कन्यायुक्त विशेष मर्यादासूचक शब्द व्यवहार करोगे । रुग्णावस्था तथा जिस किसी विशेष आवश्यकता को छोड़कर पर नारी तथा पर पुरुष को यथासम्भव परस्पर स्पर्श नहीं करना चाहिए ।

अभिनयजीविनी नारी (नटी) को छोड़कर अन्य कोई नारी पुरुषों के संग एक साथ अभिनय नहीं कर सकती है । अभिनयजीवी पुरुष (नट) को छोड़कर अन्य कोई भी पुरुष नारियों के संग एक साथ अभिनय नहीं कर सकता है । विशेष अवस्था में नाटक विशेष में त्रुटिमुक्त भूमिकाओं में अ - पेशेवर नारी - पुरुषों के मिलित अभिनय सम्बन्धी कठोरता पुरोधा की अनुमति से किञ्चित शिथिल की जा सकती है ।

आचार्य और पुरोधागण किसी अभिनय में सक्रिय भाग नहीं ले सकते ; किन्तु व्यष्टिगत रूप से वे सभी तरह की ललित कलाओं का अभ्यास कर सकते हैं । पुरोधा की अनुमति लेकर विशेष अवस्था में या किसी विशेष नाटक में आचार्यगण भी चाहें तो अभिनय कर सकते हैं ।

सूचीपत्र

अध्याय- २५

जीविका निर्वाह

सत् पथ पर रह कर अपने तथा परिवार के भरण - पोषण के लिए तुमलोग कोई भी जीविका ग्रहण कर सकते हो । मन में याद रखना कि पराया अन्न खाना अति हीनता का परिचायक है ।

अपनी आमदनी का कम - से - कम पचासवाँ भाग जनसेवा में लगाने की चेष्टा करोगे । अपने उपार्जन का सोलहो आना अपने लिए तथा अपने परिवार के लिए व्यय करने से क्रमशः तामसिकता छा जाएगी ।

ललित कला (fine arts) का व्यवहार कोई भी अर्थोपार्जन के लिए नहीं करेगा । किन्तु अर्थाभाव के कारण गृहस्थी नहीं चलने पर अपने आचार्य के निर्देशानुसार इस आदेश की कठोरता को सामयिक रूप से शिथिल किया जा सकता है ।

सूचीपत्र

अध्याय- २६

नारी की जीविका

बुनाई , सिलाई , जहाँ सम्भव हो पशुपालन तथा खेती के छोटे छोटे कामों का भार नारियों को लेना चाहिए । संक्षेप में , सद्भाव से घर में रहकर अर्थोपार्जन नारियों के लिए वांछनीय है । तब , इस तरह समस्या का समाधान न होने पर घर से बाहर नौकरी या व्यवसाय इत्यादि अधिक परिश्रम वाले काम में भी नारियाँ आत्मनियोग कर सकती हैं । इस सम्बन्ध में किसी के मन में किसी कुसंस्कार या रूढ़िवादिता का भाव रहना उचित नहीं है ।

सूचीपत्र

अध्याय- २७

अर्थनीति

"तुम सभी एक यौथ परिवारभुक्त हो " मानकर जगत् की समस्त सम्पति को तुम सब लोग मिलजुलकर व्यवहार करोगे । याद रखो समाज के प्रत्येक शिशु , प्रत्येक मनुष्य के प्रति तुम्हारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दायित्व है । अपने को उनलोगों से अलग कर रखने की चेष्टा मत करो । जो धन का अव्यवहार या अपव्यवहार करते हैं , वे विश्वपिता की अवज्ञा करते हैं , क्योंकि वे उनकी अन्य सन्तान को अर्थात् अपने खुद के अन्यान्य भाई बहिनों को उनके न्यायसंगत अधिकार से वंचित कर रखना चाहते हैं । ये सभी लोग वास्तव में मानसिक व्याधि से ग्रस्त हैं । इन सभी समाज शोषकों को मानसिक तथा आध्यात्मिक शिक्षा द्‌वारा सत्पथ पर लाने की चेष्टा करोगे और इस प्रकार की चेष्टा अगर सफल न हो तो परिस्थिति का दबाव डाल कर उनको सत्पथ पर आने

के लिए बाध्य करोगे एवं स्थायी रूप से उनकी मानसिक व्याधि दूर करने के लिए आध्यात्मिक पथप्रदर्शन करोगे । **याद रखो , मनुष्य के प्रति वास्तव में प्रेम रहने से ही उसका सुधार किया जा सकता है।**

सूचीपत्र

अध्याय- २८

आदर्श दायाधिकार व्यवस्था

दायाधिकार व्यवस्था साधारणतया निम्नलिखित रूप से होनी चाहिए :

(१) पिता - माता की स्थावर तथा अस्थावर सम्पत्ति पुत्र और पुत्री समान अंश में पाएंगे । पुत्री उस स्थावर सम्पत्ति का आजीवन भोग करेगी । किन्तु हस्तान्तर नहीं करेगी । उसकी मृत्यु के पश्चात् वह सम्पत्ति उसके पितृकुल में वापस चली जाएगी ।

(२) विधवा अपने स्वामी की सम्पत्ति सम्पूर्ण रूप से तथा श्वसुर , सास की सम्पत्ति में देवर , ज्येष्ठ तथा ननद के साथ समान अंश पाएगी । स्वामी अथवा श्वसुर - सास से प्राप्त स्थावर सम्पत्ति के हस्तान्तर का अधिकार उसे नहीं रहेगा । उसकी मृत्यु या पुनर्विवाह हो जाने पर उस सम्पत्ति को उसके पुत्र कन्यागण , उनके अभाव में देवर - ज्येष्ठ - ननद , उनके भी नहीं रहने पर देवर - ज्येष्ठ के उत्तराधिकारी पाएंगे । देवर , ज्येष्ठ अथवा इनलोगों के उत्तराधिकारी भी नहीं होने पर विधवा उस सम्पत्ति का हस्तान्तरण अधिकार के साथ , अपनी इच्छानुसार व्यवहार कर सकती है । किन्तु पुनर्विवाह करने पर उस सम्पत्ति पर कोई भी अधिकार नहीं रह जाएगा । वैसी दशा में वह सम्पत्ति श्वसुर कुल के निकटतम आत्मीय के अधिकार में चली जाएगी ।

(३) पुनर्विवाह करने वाली विधवा यदि अपने पहले पति द्वारा उत्पन्न अप्राप्तवयस्क सन्तान को अपने साथ रक्खे तो वैसी दशा में उस सन्तान के पितृकुल की सम्पति को भी अभिभावक के रूप में वह देख - भाल कर सकती है । किन्तु उस सम्पति का किसी अवस्था में भी उसके नये पति या उस नये पति से उत्पन्न संतान सन्तति द्वारा उपभोग नहीं किया जा सकता है । प्रथम पति की सन्तान यदि अपने पिता के घर में रहना चाहे तो उस हालत में उस सम्पत्ति की देख - भाल का भार उसके पितृकुल के निकटतम आत्मीय पर देना होगा ।

(४) नारी की स्वोपार्जित स्थावर या अस्थावर सम्पत्ति उसके सभी पुत्र , पुत्रियाँ (एक या एक से अधिक कुलजात) समान रूप से पाएगी । विवाह में प्राप्त उपहार , अलंकार या आनुषंगिक द्रव्य इत्यादि

अथवा किसी भी रूप में दानस्वरूप प्राप्त स्थावर अथवा अस्थावर सम्पत्ति आदि स्वोपार्जित सम्पत्ति समझी जाएगी ।

(५) विवाह विच्छेद करने वाली नारी पूर्व पति की सम्पत्ति के अधिकार से वंचित रहेगी । उस स्त्री की सन्तान के प्रतिपालन का आर्थिक भार उक्त सन्तान के पिता पर रहेगा (क्योंकि वे पितृकुल की सम्पत्ति के उत्तराधिकारी भी हैं) । उक्त नारी जितने दिन चाहे पूर्व पति द्वारा उत्पन्न सन्तान को अपने साथ रख सकती है , और उस समय भी उस सन्तान के प्रतिपालन का आर्थिक भार पूर्व पति पर ही रहेगा । उक्त नारी यदि पुनर्विवाह के बाद भी अपने पूर्व पति द्वारा उत्पन्न सन्तान को अपने साथ रखना चाहे तो वैसी हालत में उसमें सम्मति देना न देना पूर्व पति की इच्छा पर निर्भर करता है । ऐसी अवस्था में सन्तान -

सन्तति जितने दिन उक्त नारी के साथ रहेगी उतने दिन उसके प्रतिपालन का आर्थिक भार उसके (उक्त नारी के) पूर्व पति पर नहीं रहेगा ।

(६) Will या दानपत्र छोड़कर साधारणतः एक कुल की सम्पत्ति दूसरे कुल में नहीं जाएगी । किन्तु किसी नारी का भाई या भाई के उत्तराधिकारी न रहने पर उक्त नारी हस्तान्तरण अधिकार सहित उस सम्पत्ति की अधिकारिणी बनेगी और उसकी मृत्यु पर उसके पुत्र - पुत्रियाँ माता की स्वोपार्जित सम्पत्ति का न्यायतः अधिकार पाएगी ।

(७) अविवाहित व्यष्टि अथवा निःसन्तान दम्पति की सम्पत्ति उनके कुल के ही निकटतम आत्मीय के अधिकार में जाएगी ।

(८) आवश्यकतानुसार दायाधिकार व्यवस्था में काल के अनुसार परिवर्त्तन कर लोगे ।

सूचीपत्र

अध्याय -२ ९

विज्ञान तथा समाज

विज्ञान को सर्वदा जनकल्याण के कार्य में लगाओगे । जो विज्ञान की ध्वंसकारी शक्ति को लेकर कार्य करते हैं , वे मानव जाति के शत्रु हैं । सात्त्विक भाव लेकर विज्ञान को प्रोत्साहन देना होगा । विज्ञान तथा जगत् की शक्ति जबतक सत्त्वगुणियों के हाथ में नहीं आएगी , तब तक जीव की सामग्रिक उन्नति सुदूर ही रहेगी ।

सूचीपत्र

अध्याय- ३०

सामाजिक दण्ड

किसी व्यष्टि के समाजविरोधी कर्म करने पर आचार्य की व्यवस्था के अनुसार कठोर उपवास या अन्य किसी प्रकार के दण्ड द्‌वारा वह पाप का प्रायश्चित करेगा। दण्ड केवल अपराधी व्यष्टि को ही दिया जाएगा। उसके परिवार के अन्य किसी भी सदस्य को नहीं। त्रुटि दूर होते ही दण्ड की व्यवस्था हटा दी जाएगी। दस मनुष्यों को धर्मभाव से अनुप्राणित करने से भी ऐसे माना जाएगा कि उसकी त्रुटि संशोधित हो गई।

यदि किसी आनन्दमार्गी के आचरण के विरुद्ध किसी प्रकार का अभियोग हो तो वैसी हालत में उसके आचार्य

की दृष्टि में उसे लाना होगा । यदि आचार्य न हो तो पूर्वोक्त आचार्य के स्थान पर जिस आचार्य ने अभियुक्त मार्गी को अन्यान्य साधना पद्धति सिखायी है , उनकी दृष्टि में लाना होगा । यदि वे भी निकट न हों तो इस हालत में समस्त अभियोग सम्बन्धित यूनिट सेक्रेटरी या जिला सेक्रेटरी (भुक्तिप्रधान) की दृष्टि में लाना होगा । ये लोग एक सप्ताह के भीतर केवल आचार्यों को लेकर इस सम्बन्ध में एक अनुसन्धानकारी ट्रिब्युनल गठित करेंगे । अभियोग प्रमाणित होने पर ट्रिब्युनल अभियुक्त व्यष्टि के विरुद्ध दण्ड की विधिवत् व्यवस्था करेगा ।

अभियुक्त व्यष्टि चाहे तो ट्रिब्यूनल के सदस्यों की अनुमति लेकर साधारण भुक्तिप्रधान के समीप ट्रिब्युनल - प्रदत्त निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकता

है । साधारण भुक्तिप्रधान भी आचार्यों को लेकर एक दूसरे ट्रिब्युनल का गठन करेंगे ।

इसके बाद भी साधारण भुक्तिप्रधान द्वारा गठित ट्रिब्यूनल के निर्णय से भी अगर अभियुक्त सन्तुष्ट न हो तो ट्रिब्यूनल के सदस्यों की अनुमति लेकर जेनरल सेक्रेटरी के निकट आवेदन कर सकता है । इस हालत में जेनरल सेक्रेटरी या उनके द्वारा गठित ट्रिब्युनल के निर्णय को चरम तथा अन्तिम माना जाएगा ।

अगर अभियुक्त व्यष्टि आचार्य हों तो इस हालत में केन्द्रीय आचार्य बोर्ड के सेक्रेटरी के समीप अभियोग लाना पड़ेगा । सेक्रेटरी तब एक ट्रिब्युनल गठित करेंगे तथा अपराध प्रमाणित होने पर ट्रिब्युनल उनके दण्ड की विधिवत् व्यवस्था करेगा । अगर अभियुक्त व्यष्टि आनन्दमार्ग की किसी शाखा का होलटाइमर हो किन्तु आचार्य नहीं , इस हालत में उसके विरुद्ध अभियोग

आनन्दमार्ग की उस शाखा के प्रधान की दृष्टि में लाना होगा । तब वे एक ट्रिब्युनल गठित करेंगे और अभियोग प्रमाणित होने पर ट्रिब्युनल उनके विरुद्ध दण्ड की विधिवत् व्यवस्था करेगा ।

अभियुक्त होलटाइमर अगर आचार्य हों उस हालत में सीधे केन्द्रीय आचार्य बोर्ड के सेक्रेटरी के निकट अथवा आनन्दमार्ग के सम्बन्धित शाखाप्रधान के निकट अभियोग लाना होगा । तब बोर्ड के सेक्रेटरी अथवा सम्बन्धित शाखाप्रधान अनुसन्धान हेतु ट्रिब्युनल गठित करेंगे और अभियोग प्रमाणित होने पर दण्ड की विधिवत् व्यवस्था करेंगे । आचार्य लोगों के सम्बन्ध में केवल आचार्य बोर्ड ही अन्तिम निर्णय देंगे ।

अगर आनन्दमार्ग की किसी शाखा के प्रधान के विरुद्ध अभियोग हो तो उस हालत में संघ के जेनरल सेक्रेटरी के निकट अभियोग लाना होगा । वे यदि

इच्छा करें तो स्वयं अथवा अपने द्‌वारा नियुक्‌त ट्रिब्युनल के माध्यम से इस सम्बन्ध में निर्णय लेंगे ।

द्रष्टव्य : -

(१) ट्रिब्युनल में तीन आदमी से अधिक रहना उचित नहीं है ।

(२) अभियोग प्रत्येक अवस्था में लिखित ही होगा ।

(३) अभियोग असत्य सिद्ध होने पर अभियोगकारी को वही दण्ड लेना पड़ेगा जो दण्ड अभियोग सत्य सिद्ध होने पर अभियुक्त को मिलता ।

सूचीपत्र

अध्याय ३१

शव सत्कार

व्यष्टि विशेष की इच्छानुसार उसकी मृतदेह का दाह या दफन* किया जा सकता है । उस व्यष्टि ने यदि कोई इच्छा प्रकट न की हो तो वैसी हालत में उसका दाह करना उचित होगा ।

निर्देश :

(१) शव को निःशब्द वहन करोगे ।

(२) शव दाह या दफन के पूर्व मिलित ईश्वरप्रणिधान करोगे ।

(३) चिता में अग्नि संयोग तथा दाह के उपरान्त सर्व प्रथम अग्नि निर्वापन का कार्य मृतक का पुत्र या पुत्रस्थानीय कोई व्यष्टि करेगा । ठीक उसी प्रकार

मृत्तिका खनन तथा समाधि में मृत्तिका निक्षेपण का कार्य सर्व प्रथम मृतक का पुत्र या पुत्रस्थानीय कोई व्यष्टि करेगा ।

(४) दाह करते समय मृतदेह के सम्मान की रक्षा करके सम्पूर्ण रूप से शव को जला दोगे । अधजली मृतदेह को जल में बहा देने की अपेक्षा पृथ्वी में गाड़ देना बहुत अच्छा है ।

(५) शव सत्कार का कायिक तथा आर्थिक दायित्व समाज का है । इसके लिए शोकसन्तप्त परिवार पर किसी प्रकार का दायित्व देना उचित नहीं है ।

---

* **वि ० द्र ० :** -वैज्ञानिक पद्धति से दाह करना ही उचित है । किन्तु जहाँ यह सम्भव नहीं है , वहाँ

वीभत्स रूप से अथवा शव को विवस्त्र करके दाह नहीं करना चाहिए , क्योंकि इससे अनुष्ठान की गम्भीरता तथा पवित्रता नष्ट हो जाती है तथा दर्शकों के मन में वीभत्स भाव की सृष्टि होती है । वीभत्सता के कारण ही तुमलोग मुखाग्नि क्रिया वर्जन करके चलोगे ।

सूचीपत्र

अध्याय ३२

श्राद्धानुष्ठान

आचार्य , कम - से - कम पाँच स्वस्थ व्यष्टि और श्राद्धकर्ता उपस्थित रहेंगे । मृतक के निकटतम आत्मीय ही उनके प्रधान श्राद्धाधिकारी रूप में गण्य होंगे । अवश्य श्राद्धाधिकार मार्ग के सभी साधकों को

रहेगा । सबलोग मंत्रोच्चारण में आचार्य का अनुसरण करेंगे । श्राद्ध* का मन्त्र :

१) “ॐ मधु वाता ऋतायते मधु क्षरन्तु सिन्धवः ।

माध्वीर्नः सन्त्वोषधीः ॥

मधु नक्तमुतषसो मधुमत् पार्थिवं रजः ।

मधु द्यौरस्तु नः पिता ॥

मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमाँ अस्तु सूर्यः ।

माध्वीर्गावो भवन्तु नः ॥

ॐ मधु, ॐ मधु, ॐ मधु ॥”

(२) " हे परमेश्वर , हमलोगों के परमात्मीय श्री / श्रीमती .... की विदेही आत्मा आज मरणशील जगत् के ऊपर , जगत् के सुख दुःख से बाहर है । हे

परमेश्वर , उनकी अमर आत्मा उत्तरोत्तर प्रसार लाभ करे । " (तीन बार)

****

* श्राद्ध से विदेही आत्मा का कोई फायदा नहीं होता । यह श्राद्धकर्ता की मानसिक शान्ति के लिए होता है ।

****

(३) " हे परमेश्वर , हमलोगों के परमात्मीय श्री / श्रीमती .. आज सभी प्रकार के जागतिक कर्त्तव्यबन्धन से मुक्त हो गये हैं । आज उनकी अमर आत्मा पूर्ण रूप से तुम्हारी इच्छा से परिचालित होकर शाश्वत शांति लाभ करे । (तीन बार)

(४) ' हे परमेश्वर , हमलोगों के परमात्मीय श्री / श्रीमती के प्रति हमलोगों का जो सामाजिक दायित्व था , उससे तुमने आज हमलोगों को मुक्त किया है ।

आज हमलोगों ने अपने हृदय की समस्त पवित्रता के साथ तुम्हारे पुत्र / कन्या को तुम्हारी स्नेहमयी गोद में प्रत्यर्पित किया है । तुम अपनी वस्तु ग्रहण कर हमलोगों को कृतार्थ करो । " (तीन बार) \

(५) " हे परमेश्वर , आज तुम्हारे बच्चे जो तुम्हारी गोद से अलग होकर जगत् की त्रिताप ज्वाला में दग्ध हो रहे हैं जीवनावसान पर वे लोग तुम्हारे स्नेहमय आश्रय से वंचित न होवे । (तीन बार)

"ॐ मधु वाता ऋतायते मधु क्षरन्तु सिन्धवः ।

माध्वीर्नः सन्त्वोषधीः ॥

मधु नक्तमुतषसो मधुमत् पार्थिवं रजः ।

मधु द्यौरस्तु नः पिता ॥

मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमाँ अस्तु सूर्यः ।

माध्वीर्गावो भवन्तु नः ॥

ॐ मधु, ॐ मधु, ॐ मधु ॥"

(एक बार)

इसके बाद श्राद्धकर्त्ता द्‌वारा लाया गया जल पहले आचार्य , उसके बाद सभी उपस्थित व्यष्टि एक ही पात्र से चुल्लु भर लेकर पान करेंगे । सबसे अन्त में श्राद्धकर्ता जल ग्रहण करेगा ।

तब आचार्य निम्नलिखित मन्त्र का उच्चारण करेंगे -
"सर्वेऽत्र सुखिनः भवन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः ।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु न कश्चिद् दुःखमाप्नुयात् ॥ ॐ शान्तिः , ॐ शान्तिः , ॐ शान्तिः ।। *

Sarve'tra sukhinah bhavantu Sarve santu nira'maya'h Sarve bhadran'i pashyantu Na

kashcid duhkhama'pnuya't Onm ' sha'nthih , Onm ' sha'ntih , Onm sha'ntih

कतिपय निर्देश :

(१) शोक का समय बारह दिन से अधिक होना वांछनीय नहीं । तुमलोग इच्छा होने से उन बारह दिन के भीतर किसी दिन सुविधानुसार श्राद्धकर्म सम्पन्न कर सकते हो । शोक समय में अपने को व्यर्थ कष्ट देना या लोगों को दिखाने के उद्देश्य से कृच्छ्र साधन नहीं करना चाहिए ।

(२) श्राद्ध के बाद उन्नत प्रजाति का साँढ़ या भैंसा , भेडा , बकरा या दूसरा कोई गृहपालित पशु जनकल्याणार्थ दान किया जा सकता है । किन्तु वह अवश्य ही उत्तम प्रजाति का पुरुष पशु होना चाहिए । ऐसी कोई बात नहीं कि श्राद्ध में पशु दान करना ही

होगा । पशु को व्यापक रूप से दागना उचित नहीं है । परन्तु उक्त पशु की सुरक्षा हेतु दागना आवश्यक होने पर कपाल पर अथवा लोम रहित स्थान पर अल्प सामान्य दाग दिया जा सकता है । उस पशु के प्राप्तवयस्क न होने तक उसकी देखभाल का भार उत्सर्ग करने वाले गृहस्थ को ही लेना होगा । बाद में उसका दायित्व ग्रामवासियों को सामूहिक रूप से अवश्य ही लेना पड़ेगा । इस प्रकार से उत्सर्ग किये गये पशु की हत्या घोरतम समाजविरोधी कार्य समझा जाएगा ।

***\

* मन्त्रार्थ उपस्थित सभी जन सुखी हो , सभी जन रोगमुक्त हो । सभी जन सब वस्तुओं का अच्छा पहलू ही देखें । कोई भी दुःखग्रस्त न हो । ब्रह्म शान्ति , बह्म शान्ति , ब्रह्म शान्ति ।

सूचीपत्र

अध्याय ३३

विधवा

विधवा नारियों के लिए खाद्य , अलंकार , पोशाक - परिच्छद तथा मांगलिक अनुष्ठान के सम्बन्ध में किसी प्रकार का विधि - निषेध या उपवास आदि की व्यवस्था आरोपित नहीं की जाएगी । किन्तु साधनागत आवश्यकता के कारण यदि विधवा खाद्य का विधि निषेध मानकर चलती है तो इसमें वह स्वतंत्र है ।

अध्याय ३४

भुक्तिप्रधान

' भुक्ति ' का तात्पर्य है स्थानीय राजनैतिक क्षेत्र - जैसे भारतवर्ष में जिला , ब्रिटेन में काउण्टि इत्यादि । ऐसे क्षेत्र में आनन्दमार्ग प्रचारक संघ के सचिव को भुक्तिप्रधान कहा जाएगा ।

भुक्तिप्रधान का चुनाव :

भुक्ति के सद्‌विप्र (जो सोलह विधि में प्रतिष्ठित हैं) अपने में से एक भुक्तिप्रधान का चुनाव करेंगे । भुक्तिप्रधान आचार्य या तात्त्विक नहीं भी हो सकते हैं , किन्तु उन्हें एक शिक्षित गृही मार्गी • होना पड़ेगा । वे इस पद पर तीन वर्षों तक बने रहेंगे । इसके बाद पुन : चुनाव होगा ।

भुक्ति समिति :

भुक्ति सामान्य समिति का गठन सदविप्र स्वंय आपस में चुने गये प्रतिनिधियों से करेंगे । इसमें अधिकतम २५ और न्यूनतम १५ सदस्य होंगे । ८० प्रतिशत सदस्यों की सहमति से सदस्य संख्या २५ से ऊपर की जा सकती है ।

भुक्तिप्रधान भुक्ति सामान्य समिति के अध्यक्ष होंगे । वे एक भुक्ति कार्यकारिणी समिति का गठन अपने द्वारा चुने गये सदस्यों से करेंगे । भुक्ति कार्यकारिणी समिति के सदस्यों की संख्या भुक्ति प्रधान के विवेक के अनुसार निश्चित होगी । भुक्ति कार्यकारिणी समिति के अधिकतम तीन सदस्य वैसे सद्वित्र हो सकते हैं जो भुक्ति सामान्य समिति के सदस्य नहीं हैं , शेष भुक्ति सामान्य समिति के सदस्य होने चाहिए ।

भुक्तिप्रधान के कर्त्तव्य और दायित्व :

सामान्यतः भुक्तिप्रधान जिला स्तर पर (इसमुब : (ISMUB) विभाग के सभी कार्यों जैसे निरीक्षण (Inspection) , सेमिनार (Seminar) , आन्दोलन (Movement) , उपयोग (Utilization) और पर्षद (Board) के लिए उत्तरदायी हैं ।

उन्हें जन्म , जातकर्म , विवाह , प्रीतिभोज , नारायण - सेवा , विवाह - विच्छेद (तलाक) , मृत्यु , श्राद्ध और दीक्षादान के सभी रिकार्ड रखने होंगे ।

इसके अतिरिक्त भुक्तिप्रधान को छोटेमोटे दीवानी और फौजदारी झगड़ों का निपटारा करना होगा । इस क्रम में वादी और प्रतिवादी पक्ष को अपने - अपने प्रतिवक्ता नियुक्त करने की अनुमति देने का अधिकार भुक्तिप्रधान के हाथ में ही रहेगा । (' चर्याचर्य ' में निपुण कोई सदविप्र इस प्रयोजन से प्रतिवक्ता बन सकते हैं) ।

उन्हें जागृति , ध्वज , प्रतीक और प्रतिकृति की पवित्रता जागृति सचिव तथा अन्यों की सहायता से बनाये रखना होगा ।

किसी भी व्यष्टि के व्यष्टिगत हित को सामूहिक हित के विरूद्ध नहीं जाने देकर , उन्हें भुक्ति की सामाजिक संहति को बरकरार रखना होगा और वे भुक्ति कार्यकारिणी समिति की सलाह से) किसी व्यष्टि के विरूद्ध सोलह विधि से विचलित होने के आरोप में अनुशासनिक कार्यवाही कर सकते हैं ।

आनन्दमार्ग की विभिन्न जनकल्याण योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में अर्थ , माल , श्रम और अन्य शारीरिक और बौद्धिक सामर्थ्य से सहायता करना भुक्तिप्रधान के लिए आवश्यक कर्त्तव्य हैं । भुक्तिप्रधान अपनी भुक्ति के समस्त आय व्यय का उपयुक्त हिसाब रखेंगे । आवश्यकता पड़ने पर

पुरोधाप्रमुख भुक्तिप्रधान के कर्त्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों को केन्द्रीय पुरोधा पर्षद् के परामर्श से अथवा बिना परामर्श घटा - बढ़ा सकते हैं ।

सूचीपत्र

अध्याय- ३५

समाजमित्रम् , स्मार्त्त , जीवमित्रम् और धर्ममित्रम्

किसी विशेष सेक्टर के भुक्तिप्रधान जिनके क्षेत्र में सर्वाधिक प्रथम श्रेणी की आनन्दमार्ग प्रचारक संघ की समितियाँ हैं (देखें : पषदों का गठन) उस अर्द्धवर्ष (१ जनवरी से वैशाखी पूर्णिमा , और वैशाखी पूर्णिमा से

१ जनवरी) के लिए उस सेक्टर के ' समाजमित्रम् ' के रूप में जाने जाएंगे । वे ' समाजमित्रम् ' शब्द का प्रयोग अपने नाम के पहले तबतक करते रहेंगे जबतक कि उस सेक्टर का कोई दूसरा भुक्तिप्रधान इस सम्मानीय पद को नहीं पा लेता है । ऐसे भुक्तिप्रधान जो लगातार दो वर्षों (चार अर्द्ध वर्ष) तक समाजमित्रम् का पद रख सकने में समर्थ होंगे , इस शब्द का प्रयोग अपने नाम के आगे हमेशा के लिए कर सकेंगे (वंशानुगत रूप से नहीं) । एक स्थायी समाजमित्रम् भुक्तिप्रधान के पद पर और नहीं रह सकते ।

भुक्तिप्रधान यदि आचार्य हों तो वे ' स्मार्त्त ' शब्द का प्रयोग करेंगे– ' समाजमित्रम्'का नहीं । सभी समाजमित्रमों में जिनके क्षेत्र में दुनिया में सर्वाधिक प्रथम श्रेणी की समितियाँ होंगी वे '

जीवमित्रम्’ कहलायेंगे । ऐसे भुक्तिप्रधान जो जीवमित्रम् के पद पर लगातार दो वर्षों (चार अर्द्धवर्ष) तक बने रहने में समर्थ होंगे वे अपने नाम के पहले इस शब्द को स्थायी रूप से लगा सकेंगे (वंशानुगत रूप से नहीं) । एक स्थायी जीवमित्रम् भुक्तिप्रधान के पद पर और नहीं रह सकते ।

भुक्तिप्रधान यदि गृही आचार्य हों तो वे ' धर्ममित्रम् ' शब्द का प्रयोग करेंगे- ' जीवमित्रम् ' का नहीं । समाजमित्रम् , स्मार्त्त , जीवमित्रम् और धर्ममित्रम् के पुरुष होने पर हजामत न बनाना ही उचित होगा , किन्तु यह अनिवार्य नहीं हैं ।

समाजमित्रम् और जीवमित्रम् को समाज में वही सम्मान मिलेगा जो एक आचार्य को मिलता है । इसी कारण अगर यह जरूरी भी हो तो उनके विरूद्ध पुरोधा

को छोड़कर और कोई किसी प्रकार की सामाजिक अनुशासनिक कार्यवाही करने का अधिकारी नहीं होगा ।

सूचीपत्र

अध्याय ३६

पर्षदों का गठन

आनन्दमार्ग प्रचारक संघ के सभी विभागों और प्रभागों को उनके सम्बन्धित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए पर्षदें (केन्द्रीय से ग्राम स्तर तक) हैं । ग्राम स्तर पर पर्षदों की पूर्ण संख्या वही होगी , जो केन्द्रीय स्तर पर हैं ।

एक पर्षद् में सदस्यों की न्यूनतम संख्या तीन और अधिकतम संख्या सात होगी । सदस्य उच्च शिक्षित हो या नहीं , किन्तु उनके अन्दर उत्तरदायित्व की

विकसित भावना होनी चाहिए । कोई व्यष्टि एकाधिक पर्षदों का सदस्य नहीं हो सकता है ।

प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी की समितियाँ :

विभिन्न स्तर की समितियाँ जो आनन्दमार्ग प्रचारक संघ के सभी विभागों तथा प्रभागों से सम्बन्धित पर्षदों का गठन कर चुकी हैं , प्रथम श्रेणी की समितियाँ घोषित की जाएंगी । ऐसी समितियाँ जिन्होंने पूर्ण संख्या से कम पर्षदों का गठन किया है , द्वितीय श्रेणी की समितियाँ कहलाएंगी ।

सम्बन्धित सांरचनिक कार्यकर्त्ताओं तथा ' इसमुब ' (ISMUB) सचिव का यह कर्तव्य होगा कि वे सभी सद्वित्रों की सहायता से द्वितीय श्रेणी की समितियों को प्रथम श्रेणी की बनाएँ ।

अध्याय ३७

उपभुक्तिप्रमुख

जहाँ शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रखण्ड (Block) प्रणाली है वहाँ उपभुक्ति का तात्पर्य हैं प्रखण्ड ।

जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में प्रखण्ड प्रणाली है किन्तु शहरी क्षेत्रों में नहीं , वहाँ उपभुक्ति का तात्पर्य हैं :

(१) ग्रामीण क्षेत्रों में प्रखण्ड ;

(२) शहरी क्षेत्रों में नगरपालिका का अधिकार क्षेत्र । जहाँ नगरपालिका का क्षेत्र बहुत बड़ा है और उसमें एक से अधिक पुलिस थाने आते हैं , वहाँ उपभुक्ति का तात्पर्य है एक पुलिस थाने का क्षेत्र ;

(३) जहाँ शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों में प्रखण्ड प्रणाली नहीं हैं वहाँ उपभुक्ति का तात्पर्य हैं १,००,००० की जनसंख्यावाला क्षेत्र |

उपभुक्तिप्रमुख का निर्वाचन :

एक उपभुक्ति के सद्विप्र अपने बीच से एक उपभुक्तिप्रमुख निर्वाचन करेंगे । उपभुक्तिप्रमुख आचार्य या तात्त्विक नहीं भी हो सकते हैं किन्तु उन्हें एक शिक्षित गृही मार्गी होना ही पड़ेगा । वे इस पद पर तीन वर्षों तक कायम रह सकते हैं , तदुपरान्त नवर्निवाचन होगा ।

उपभुक्ति समिति :

निर्वाचित उपभुक्तिप्रमुख उपभुक्ति समिति का गठन उपभुक्ति के विभिन्न भागों के सद्वित्रों में से उनके द्वारा चुने गये सदस्यों द्वारा करेंगे । उपभुक्तिप्रमुख

उपभुक्ति समिति के सदस्यों की संख्या निश्चित करेंगे।

उपभुक्तिप्रमुख के कर्त्तव्य तथा उत्तरदायित्व :

भुक्ति के सम्बन्ध में ' इसमुब ' (ISMUB) विभाग की जो भूमिका है उपभुक्ति के सम्बन्ध में सोशल सेक्योरिटी (Social Security) विभाग की वही भूमिका होगी ।

उपभुक्तिप्रमुख सम्बद्ध उपभुक्ति में साक्षरों का प्रतिशत बढ़ाने के लिए अधिकाधिक स्कूल खोलेंगे और उपभुक्ति में नैतिकता का ऊँचा स्तर विकसित करेंगे तथा कायम रखेंगे ।

वे प्राउटिष्टों और अन्य सद्‌वित्रों की सहायता से स्थानीय जनता की क्रयशक्ति बढ़ाने का प्रयास करेंगे और स्थानीय जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के

लिए अधिक से अधिक सार्वजनीन (सार्वजनिक) भण्डारों (Universal Stores) को खोलेंगे । वे उपभुक्ति के कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन की अभिवृद्धि का प्रयास करेंगे । वे आनन्द मार्ग प्रचारक संघ के सम्बद्ध प्रभागों के सहयोग से उपभुक्ति में आवश्यक संख्या में चिकित्सा केन्द्र और दातव्य सदन (Charitable Homes) प्रारम्भ करेंगे ।

उपभुक्तिप्रमुख अपनी भुक्ति की भुक्ति कार्यकारिणी समिति में सम्मिलित किये जा सकते हैं । किन्तु उस समिति में इन्हें कोई विभाग नहीं मिलेगा ।

अध्याय- ३८

सान्धिविग्राहिक , जनमित्रम् और लोकमित्रम्

किसी रीजन (Region) विशेष के उपभुक्तिप्रमुख को जिसके अन्दर कार्यरत उत्पादक तथा उपभोक्ता सहकारी संस्थायें किसी अर्द्ध वर्ष में सर्वाधिक हैं , यदि उपभुक्ति में साक्षरता का प्रतिशत २५ से अधिक है (पुरोधाप्रमुख आवश्यकतानुसार इसे बदल सकते हैं) और उपभुक्ति में कोई भी भूख या कुपोषण से सम्बद्ध अर्द्धवर्ष में नहीं मरा है , ' सान्धिविग्राहिक ' के रूप में जाना जाएगा । उन्हें ' सान्धिविग्राहिक ' शब्द का प्रयोग अपने नाम के पहले करने का अधिकार तबतक रहेगा जबतक उसी रीजन का कोई अन्य व्यष्टि यह प्रतिष्ठित पद अर्जित नहीं कर लेता है । कोई

उपभुक्तिप्रमुख लगातार दो वर्षों (चार अर्द्धवर्ष) तक सान्धिविग्राहिक के पद पर बने रहने के बाद अपने नाम के पहले इस शब्द का प्रयोग स्थायी रूप से कर सकेंगे (वंशानुगत रूप से नहीं) । कोई स्थायी सान्धिविग्राहिक किसी उपभुक्तिप्रमुख के पद पर आसीन नहीं रह सकता ।

सान्धिविग्राहिक जिनके अन्दर किसी अर्द्धवर्ष में सम्पूर्ण सेक्टर में सर्वाधिक कार्यरत सहकारी संस्थायें है , ' जनमित्रम् ' के रूप से जाने जाएंगे । स्थायी जनमित्रम् से सम्बन्धित नियम सान्धिविग्राहिक के जैसे ही हैं ।

जनमित्रम् ' जिनके अन्दर सम्पूर्ण विश्व में सर्वाधिक संख्या में कार्यरत सहकारी संस्थायें किसी अर्द्धवर्ष में हैं , ' लोकमित्रम् ' के रूप में जाने जाएंगे ।

स्थायी लोकमित्रम् से सम्बन्धित नियम ठीक सान्धिविग्राहिक और जनमित्रम् के जैसे हैं ।

सूचीपत्र

अध्याय ३ ९

तुमलोगों की विभिन्न संस्थायें -

(१) **केन्द्रीय समिति (संस्था)** - पुरोधाओं के वोट से पुरोधाओं के ही बीच से केन्द्रीय संस्था के सदस्य निर्वाचित होंगे । पुरोधाप्रमुख ही केन्द्रीय संस्था के प्रेसीडेण्ट होंगे तथा प्रेसीडेण्ट अपनी पसन्द के अनुसार केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति का गठन करेंगे । वे अगर चाहें तो केन्द्रीय संस्था के निर्वाचित सदस्य नहीं ऐसे व्यष्टियों में से भी अधिक से अधिक तीन व्यष्टियों को केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति में ले सकेंगे । केन्द्रीय समिति की सर्वोच्च । (अधिकतम) सदस्य

संख्या ६० होगी तथा निम्नतम १५ होगी । केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति के सदस्यों की संख्या प्रेसीडेण्ट की इच्छानुसार निर्धारित होगी ।

केन्द्रीय समिति के ८० प्रतिशत सदस्यों की इच्छा से केन्द्रीय समिति की सदस्य संख्या ६० से अधिक भी की जा सकती है ।

(२) भुक्ति समिति- देखें : भुक्ति समिति , पृः ६३

(३) ग्राम समिति - भुक्ति सामान्य समिति के चेयरमैन , या उनकी अनुपस्थिति में ऊर्ध्वतन समिति के चेयरमैन , या उनकी अनुपस्थिति में , केन्द्रीय समिति के प्रेसीडेण्ट द्वारा ग्राम - संघटक (Village organiser) मनोनीत होंगे । वे अपनी पसन्द के व्यष्टियों को लेकर ग्राम समिति का संघटन करेंगे ।

उनकी मृत्यु होने पर अथवा ग्रामवासी ग्राम - संघटक की कार्यवाही से असन्तुष्ट होने से मनोनयनयकारी चेयरमैन या प्रेसीडेण्ट ग्रामवासियों की पसन्द के किसी दूसरे व्यष्टि को ग्राम - संघटक के रूप में मनोनीत करेंगे ।

आनन्दमार्ग चर्याचर्य ग्राम में कार्यकारिणी समिति ही रहेगी । इसकी सदस्य संख्या संघटक की इच्छानुसार निर्धारित होगी । आचार्यों या तात्त्विको को या उनकी अनुपस्थिति में मार्ग के अन्यान्य व्यष्टियों को ग्राम कार्यकारिणी समिति के सदस्य के रूप में मनोनीत किया जा सकता ७४

(४) राज्य समिति , राष्ट्रीय समिति प्रभृति (Provincial or state committee or committee for state or country) : - यदि कहीं भुक्ति समिति के ऊपर और केन्द्रीय समिति के नीचे अर्थात् प्रदेश , राज्य या विशेष देश के लिए कोई कमिटी कायम करने की आवश्यकता हो तो उस कमिटी के चेयरमैन को केन्द्रीय समिति के प्रेसिडेण्ट मनोनीत करेंगे । वे अपनी इच्छानुसार व्यष्टियों को लेकर कार्यकारिणी समिति बना लेंगे ।

कार्यकारिणी समिति के सदस्यों की संख्या वे ही निर्धारित करेंगे । यथासम्भव उन्हीं व्यष्टियों में से सदस्य चुनेंगे जो आचार्य और तात्त्विक दोनों ही हों । ऐसे गुणसम्पन्न व्यष्टि उपयुक्त संख्या में उपलब्ध नहीं होने से वे मार्ग के साधारण सदस्यों में से भी चुन सकते हैं । वह कमिटि साधारणतः कार्यकारिणी समिति

के जैसा मान्य होगी । लेकिन आवश्यकता पड़ने पर केन्द्रीय समिति के प्रेसीडेण्ट की अनुमति से तथा उन्हीं से सदस्य संख्या जानकर वे एक सामान्य समिति का गठन कर सकते हैं । यह समिति कार्यकारिणी समिति को पूर्ण रूप से सहायता करेगी । इस समिति के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत जितने व्यष्टि आचार्य तथा तात्त्विक दोनों ही हैं वे अपने ही बीच से उक्त समिति के सदस्य निर्वाचित करेंगे । इस सामान्य समिति की सदस्य संख्या उक्त सदस्यों में से ८० प्रतिशत द्‌वारा निर्धारित होगी । इस समिति के चेयरमैन , प्रेसीडेण्ट के द्‌वारा मनोनीत होने पर भी , जहाँ पर निर्वाचित सामान्य समिति है , वहाँ कार्यकारिणी समिति के सदस्यों का मनोनयन केवल सामान्य समिति के मध्य से ही करेंगे । योग्य व्यष्टि यथेष्ट संख्या में उपलब्ध न होने पर केन्द्रीय समिति के प्रेसीडेण्ट की अनुमति

से सामान्य समिति के बहिर्भूत व्यष्टियों को भी कार्यकारिणी समिति (Executive Committee) में लिया जा सकता है । वैसी अवस्था में सामान्य समिति के वहिर्भूत सदस्यों की संख्या तीन से अधिक होने पर चेयरमैन को केन्द्रीय संस्था के प्रसीडेण्ट से विशेष अनुमति लेना अनिवार्य होगा ।

(५) केन्द्रीय संस्था की निम्नस्थित समितियों की कार्यकाल केन्द्रीय संस्था के द्वारा निर्धारित होगा । केन्द्रीय संस्था का कार्यकाल केन्द्रीय सामान्य संस्था द्वारा निर्धारित होगा ।

(६) **आय** : -ग्राम , जिला , प्रदेश , राज्य या देश कमिटियों में से प्रत्येक अपनी आय का १/८ अंश अपने से ठीक ऊपर वाली कमिटी को देंगी तथा शेष ७/८ अंश अपने अंचल में जनसेवा तथा धर्मप्रचार में व्यय करेगी , अर्थात् जो कमिटि केन्द्रीय समिति के

ठीक नीचे हैं वह अपनी आय का १/८ अंश केन्द्रीय समिति को देगी । केन्द्रीय समिति उस अंश से प्राप्त धन का उपयोग समस्त विश्व के लिए करेगी ।

(७) केन्द्रीय समिति का काम - काज अंग्रेजी भाषा में होगा । भुक्ति समिति या ग्राम समिति का काम अंग्रेजी जानने वाले व्यष्टियों के अभाव में वहाँ की स्थानीय भाषा में होगा ।

(८) समिति के कार्यालय को तुमलोग एकत्रित होने के स्थान के रूप में व्यवहार करोगे । केन्द्रीय , भुक्ति और ग्राम समितियों का काम होगा जनसेवा और धर्मप्रचार ।

(९) साधारणतः पुरोधाप्रमुख और केन्द्रीय समिति के प्रेसीडेण्ट एक ही व्यष्टि होंगे । तब यदि पुरोधाप्रमुख चाहें तो वे

७६ आनन्दमार्ग चर्याचर्य केन्द्रीय समिति के प्रेसीडेण्ट के रूप में काम नहीं भी कर सकते हैं । इस हालत में केन्द्रीय समिति के प्रेसीडेण्ट का मनोनयन पुरोधाप्रमुख करेंगे और वे ही प्रसीडेण्ट का कार्यकाल निर्दिष्ट कर देंगे ।

(१०) काम की सुविधा के लिए केन्द्रीय समिति उपरोक्त नियमों में आवश्यकतानुसार परिवर्तन , संयोजन अथवा संशोधन कर सकती हैं ।

सूचीपत्र

अध्याय- ४०

तात्त्विक , आचार्य , पुरोधा और तत्संलिष्ट पर्षद्

तात्त्विक , आचार्य और पुरोधा शिक्षार्थी प्रथम उपयुक्त योग्यतासम्पन्न व्यष्टिविशेष के पास शिक्षा लेगा और इसके बाद अन्य पाँच व्यष्टियों (तात्त्विक , आचार्य या पुरोधा जहाँ जैसा उपयुक्त हो) के पास परीक्षा देगा । उसी परीक्षा के फल के आधार पर केन्द्रीय तात्त्विक , आचार्य या पुरोधा पर्षद् तत्सम्पर्कित व्यष्टि को अभिज्ञान - पत्र देंगे । उक्त अभिज्ञान पत्र में रजिष्टर्ड नं ० के साथ परीक्षकों का हस्ताक्षर रहेगा ।

' तात्त्विक ' , ' आचार्य ' , ' पुरोधा ' , ' धर्ममित्रम् ' शब्द योग्यता और कर्मतत्परता के प्रतीक

हैं । इसलिए वार्द्धक्य और पंगुता को छोड़कर अन्य किसी कारण से यदि कोई तात्त्विक , आचार्य या पुरोधा यथायथ भाव अपने कर्त्तव्य सम्पादन में अक्षम हो वहाँ उनके अभिज्ञान - पत्र को रद्द करने का अधिकार केन्द्रीय तात्त्विक पर्षद् , केन्द्रीय आचार्य पर्षद् और केन्द्रीय पुरोधा पर्षद् को होगा ।

केन्द्रीय तात्त्विक पर्षद् के निर्णय के ऊपर पुनः विवेचना के लिए . केन्द्रीय आचार्य पर्षद् के पास आवेदन किया जा सकता है और उस क्षेत्र में केन्द्रीय आचार्य पर्षद् की राय ही मान्य होगी । अनुरूप भाव से केन्द्रीय आचार्य पर्षद् के सिद्धान्त (निर्णय) के ऊपर पुनः विवेचना के लिए केन्द्रीय पुरोधा पर्षद् के निकट आवेदन किया जा सकता है और वहाँ शेषोक्त पर्षद् की राय ही अन्तिम रूप से मान्य होगी । ' तात्त्विक ' , ' आचार्य ' , ' पुरोधा ' प्रभृति शब्द व्यष्टिगत योग्यता

के प्रतीक के रूप में व्यवहृत होंगे , वंशधारा के साथ इसका कोई सम्पर्क नहीं होगा ।

केन्द्रीय पुरोधा पर्षद :

आनन्दमार्ग में किसी जटिल समस्या के दिखाई पड़ने पर या किसी घोर विसंवाद (मतभेद) के दिखाई पड़ने पर केन्द्रीय पुरोधा पर्षद् का निर्णय ही अन्तिम माना जाएगा । पुरोधा पर्षद् के सदस्यों का सर्वसम्मति से जो सिद्धांत होगा समाज उसको मानेगा । पर्षद् के सदस्यों में मतैक्य नहीं हो तब संख्याधिक्य का मत ही पर्षद् के मत के रूप में गण्य होगा । मतामत में दोनों दलों के बराबर होने पर चेयरमैन का एकक मत ही पर्षद् के मत के रूप में गण्य होगा । प्रत्येक आनन्दमार्गी को बिना तर्क के पुरोधा पर्षद् का सिद्धांत मानना ही होगा । पुरोधा पर्षद् के चेयरमैन " पुरोधाप्रमुख " के नाम से अभिहित होंगे । पुरोधाप्रमुख

का - सिद्धान्त अभ्रान्त और चरम गण्य होगा । पुरोधा प्रमुख की सिद्धान्त दूसरा कोई भी परिवर्तित नहीं कर सकता है । वे स्वेच्छा से उसका परिवर्तन कर सकते हैं । पुरोधाप्रमुख आजीवन अपने पद पर अधिष्ठित रहेंगे । अस्वस्थता आदि के कारण प्रयोजन अनुभव होने से वे पद त्याग कर सकते हैं ।

पुरोधाओं के वोट से पुरोधाप्रमुख निर्वाचित होंगे । पुरोधा पर्षद् के चार सदस्यों में बाकी तीन व्यष्टियों को भी पुरोधा ही निर्वाचित करेंगे । उनका कार्यकाल ५ वर्षों के लिए होगा । पाँच वर्षों के पूर्ण होने के पहले यदि किसी की मृत्यु हो जाय या कोई अस्वस्थता के कारण पदत्याग करे तो उनके स्थान पुनः निर्वाचन होगा । पुरोधा पर्षद् के किसी सदस्य के कार्यकलाप से निर्वाचनकारी अधिकांश पुरोधागण यदि असंतोष प्रकट

करें तो पुरोधाप्रमुख की सहमति मिलने पर उनके स्थान पर पुनर्निर्वाचन हो सकता है ।

केन्द्रीय आचार्य पर्षद :

पुरोधाप्रमुख की स्वीकृति सापेक्ष आचार्यों के द्‌वारा निर्वाचित आठ सदस्यों को लेकर आचार्य पर्षद् गठित होगा । निर्वाचित सदस्यों में एक व्यष्टि उस पर्षद् का सेक्रेटरी होगा । आचार्य सम्बन्धित समस्त नियम कानून , दण्ड , अनुशासन और अन्यान्य सभी कुछ आचार्य पर्षद् के द्‌वारा निर्धारित होगा । आचार्य पर्षद के द्‌वारा लिया गया निर्णय अन्तिम अनुमोदन के लिए पुरोधाप्रमुख के पास प्रेषित होगा ।

केन्द्रीय तात्त्विक पर्षद् :

पुरोधाप्रमुख की स्वीकृति सापेक्ष तात्त्विकों के द्‌वारा निर्वाचित १२ सदस्यों को लेकर तात्त्विक पर्षद् गठित

होगा । निर्वाचित सदस्यों में एक व्यष्टि उस पर्षद् का सेक्रेटरी होगा । तात्त्विक सम्बन्धी समस्त नियम कानून , दण्ड , अनुशासन और अन्यान्य सब कुछ तात्त्विक पर्षद् के द्वारा निर्धारित होगा । तात्त्विक पर्षद के द्वारा गृहीत सिद्धान्त सर्वशेष अनुमोदन के लिए आचार्य पर्षद् की अनुशंशा के साथ पुरोधाप्रमुख के पास प्रेषित होगा ।

अध्याय- ४१

अवधूत और अवधूत पर्षद्

धर्मप्रचार और जनसेवा के कार्य में अत्यधिक व्यस्त रहने के फलस्वरूप पारिवारिक कर्त्तव्य सम्पादन जिनके लिए सम्भव नहीं हो , वे यदि आनुष्ठानिक रूप से सन्यास ग्रहण करें तो अवधूत कहलाएंगे । पुरोधाप्रमुख की स्वीकृति सापेक्ष अवधूतों के द्वारा

निर्वाचित चार सदस्यों को लेकर अवधूत बोर्ड गठित होगा । निर्वाचित सदस्यों में एक व्यष्टि उस बोर्ड का सेक्रेटरी होगा । अवधूत सम्बन्धित समस्त नियम - कानून , दण्ड , अनुशासन और अन्यान्य सब कुछ अवधूत बोर्ड के ही द्वारा निर्धारित होगा । अवधूत बोर्ड के द्वारा गृहीत सिद्धान्त अनुमोदन के लिए पुरोधाप्रमुख के पास प्रेषित होगा । अवधूत पुरोधाप्रमुख को मानकर चलेंगे और उनके अनुमोदन के बिना अवधूत बोर्ड कोई भी सिद्धान्त (निर्णय) बलवत् नहीं करेगा ।

अध्याय- ४२

मार्गीय सम्पद

तुमलोगों की सम्पद :

उन्नत दर्शन , विश्वप्रेम , अत्युग्र एकता ।

तुमलोगों की पताका :

त्रिकोण गेरुवा रङ्ग की पताका के बीच श्वेत स्वस्तिक चिह्न ।

तुमलोगों का प्रतीक :

ऊर्ध्वत्रिकोण , अधः त्रिकोण , उसके मध्य में उदीयमान सूर्य और उसके भीतर स्वस्तिक क्रमशः तेज , ज्ञान , अग्रगति और जय का प्रतीक है । तुमलोग सब तरह से अपनी सम्पद् , पताका , प्रतीक , और मार्ग गुरु की प्रतिकृति की मर्यादा की रक्षा प्रत्येक अवस्था में करोगे ।

सूचीपत्र

अध्याय- ४३

गुरुवन्दना

अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् ।
तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया ।
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः ।
गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥

|| शेष कथा || "

जानुस्पर्श तथा वराभय मुद्रा के प्रवर्त्तन द्‌वारा आनन्दमूर्त्तिजी अनन्त काल के लिए जो शक्तिस्पन्दन सृष्टि किए हैं उनका आश्रय लेकर तुमलोग अपने आपको तथा जगत् को सर्वात्मक कल्याण के पथ पर आगे ले जाओ । ॐ शान्तिः । "

सूचीपत्र

परिशिष्ट

महाप्रयाण दिवस

श्री श्री आनन्दमूर्त्तिजी के पावन नाम और रूप में श्रद्धेय मार्ग गुरुदेव आनन्दमार्गियों तथा आध्यात्मिक जिज्ञासुओं के लिए प्रकाश स्तम्भ रहे हैं । अपने आदर्श तथा साधना पद्धति के द्‌वारा उन्होंने मानव मात्र की सर्वतोमुखी विमुक्ति हेतु पथ प्रशस्त किया है । अतएव आनन्द मार्ग प्रचारक संघ की सभी यूनिटों तथा आनन्दमार्गियों को उनके महाप्रयाण दिवस २१ अक्टूबर का बड़ी ही श्रद्धा तथा मर्यादा के साथ पालन करना चाहिए ।

इस दिवस की कार्य सूची में नगर कीर्त्तन , अनुष्ठान के गाम्भीर्य के अनुकूल प्रभात संगीत के

भक्तिगीत (नृत्य के बिना) , अखण्ड कीर्त्तन , श्रद्धाञ्जलि निवेदन , वाणी प्रदर्शन , पुस्तक विक्रय , वृक्ष रोपण , सदाव्रत , समाज सेवामूलक विविध कार्यक्रम , प्रसाद वितरण , बाबा कथा (सत्संग) , तत्त्वसभा , धर्मसम्मेलन , विचार गोष्ठी इत्यादि रहेंगे।

अक्टूबर २१ से अक्टूबर २६ (अन्त्येष्टि दिवस) के ३-३० अपराह्न तक अखण्ड कीर्त्तन की व्यवस्था भी की जा सकती है ।

F.N * The above - mentioned appendix on Mahaprayan Di vas - 21st October 1990 , the day Shrii Shrii Ananda Murtijii left His mortal frame , was discussed and passed as

a resolution on 25th August , 1991 unanimously by all members of the Cen tral Committee (Ananda Marga Pracaraka Samgha) and de cided that this should be added as an appendix to Caryacarya Part I. (C.C. Resolutions , 25/8/1991, Calcutta) .

****

[यह लेखन पीछे का कवर पन्ना में है।]

" इस धरती पर मनुष्य कई लाख वर्ष पूर्व आया , परन्तु आज भी मनुष्य दृढ़निबद्ध विश्वजनीन मानव समाज का निर्माण नहीं कर पाया । यह मनुष्य की बुद्धि और वैदग्ध्य किसी भी पक्ष से गौरव की बात नहीं है । तुमलोग जिन्होंने परिस्थितियों को समझा है

, प्रयोजन को समझा है , पाप के नग्ण नृत्य को देखा है , भेदबुद्धि कपट अट्टहास को सुना है , तुम सब के लिए यह उचित है कि विलम्ब किए बिना इस महत् कार्य को पूर्ण करने के लिए प्रस्तुत हो जाओ । जहाँ उद्देश्य महत् होता है , सिद्धि वहाँ अनिवार्य होती है । "

सभ्यता के ऊषाकाल से ही मानव के सामने अनेक मतवाद आए हैं - चलने के पथ में अजस्त्र छन्द आए हैं ; किन्तु उसमे से किसी ने भी मानव जाति को एक अखण्ड , अच्छेद्य सत्ता के दृष्टिकोण से देखना नही सिखाया । इसलिए आज मानव समाज के बीच इतनी मारकाट , इतनी असहिष्णुता ।

आज का मनुष्य बौद्धिक भूमि पर निश्चय ही कुछ आगे बढ़ा है । इसलिए , आज उसे और निश्चेष्ट होकर बैठ रहने से नहीं चलेगा । चाहे जैसे भी हो , सर्व शक्ति का प्रयोग कर विश्व मानवत्व के यात्रा पथ

को सुगम कर लेना होगा । इस काम में किसी भी आलस्य या किसी भी कापुरुषता को प्रश्रय देने से नहीं चलेगा । " - श्री श्री आनन्दमूर्त्ति

सूचीपत्र

समाप्त

***************X***************

घोषणा

लिंग, जाति, पंथ, धर्ममत, अमीर , गरीब आदि को विचार किए बिना सभी मनुष्यों को आध्यात्मिक साधना सीखने , अभ्यास करने और आध्यात्मिकता के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करने का समान अधिकार है। अध्यात्मिक साधना विज्ञान को 'योग' भी कहा जाता है। योग के ज्ञान का कभी भी व्यावसायिक उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं करना चाहिए। इसका वितरण नि:शुल्क होना चाहिए। यह साधना कोई भी आदमी "आनंद मार्ग प्रचारक संघ" के सन्यासियों और सन्यासिनीयों से   किसी भी समय, नि:शुल्क सीख सकता है।

मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य परम शांति या आनंद का अनुभव करना है। केवल ईश्वर प्राप्ति के द्वारा ही आनंद प्राप्ति कर सकता है। योग साधना से ही ईश्वर प्राप्ति संभव है; और कोई रास्ता नहीं है।